लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र / Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 25 जुलाई, 1975/3 श्रावण, 1897 (शक)

No. 5, Friday, July 25, 1975/Sravana 3, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	1—11
वित्तीय समितियां, 1974-75—एक समीक्षा—सभा पटल पर रखी गई	Financial Committee, 1974-75—A Review—Laid	12
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	12
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha	12—13
याचिका समिति	Committee on Petitions :	
23वां प्रतिवेदन	Twenty-third Report	13
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit	
14वां प्रतिवेदन	Fourteenth Report	13
सीमा-शुल्क टैरिफ विधेयक :	Customs Tariff Bill	
(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Select Committee	13
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	13
सभा की बैठकों के बारे में वक्तव्य :	Statement re. Sittings of the House :	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	14
संविधान (32वां संशोधन) विधेयक :	Constitution (Thirty-second Amendment) Bill :	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	14
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक :	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill :	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	15
भारतीय सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया	Indian Coinage (Amendment) Bill—*Introduced*	15—16
वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975 :	Finance (Amendment) Bill, 1975 :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	16—28

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	16
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	16—17
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Vishwanathan	17—18
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	18—19
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	19
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	19—20
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Uraon	20—21
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	21—22
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	22
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	22—23
श्री मूल चन्द डागा	Shri Mool Chand Daga	23
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	23—24
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	24
डा० कैलास	Dr. Kailas	24—25
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	25
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramniam	25—27
खंड 2 से 4 तथा 1	Clauses 2 to 4 and 1	27—28
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	28
आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक	Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill :	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	28—47
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	28—29
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	29—31
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	31
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee	31—32
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	2—33
श्री सैयद अहमद आगा	Shri Syed Ahmad Agha	33—34
श्रीमती सावित्री श्याम	Shrimati Savitri Shyam	34—35
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	35—36
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	36—37
श्री साधू राम	Shri Sadhu Ram	37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh . .	37-38
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . . .	38-39
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . .	39
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini . .	39-40
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji . .	40
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango .	40
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . .	40-41
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . . .	41
खंड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1 . .	43—47
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . .	47

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दबान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दाम णी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मराज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिवेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंड रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचे ट्रिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री राबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(हं)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)
हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नुरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रहमण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्राभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप–मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री]	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 25 जुलाई, 1975/3 श्रावण, 1897 (शक)

Friday, July 25, 1975/Sravana 3, 1897 (Saka).

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल): श्रीमन्, मैं श्री जगजीवन राम जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) पूर्वोत्तर राज्यों में पशु प्रजनन के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं संबंधी राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन तथा उसमें की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों का सारांश

[ग्रन्थालय में रखे गये—देखिए संख्या एल० टी० 9825/75]

वार्षिक योजना 1975-76

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैं वार्षिक योजना, 1975-76 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखी गयी—देखिए संख्या एल० टी० 9826/75] ।

Review and Annual Report of Indian Rare Earths Ltd., Bombay for 1973-74

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Shri Sidheshwar Prasad): Sir on behalf of Shri K. C. Pant, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Indian Rare Earths Limited, Bombay, for the year 1973-74.

[Shri Sidheshwar Prasad]

(ii) Annual Report of the Indian Rare Earths Limited, Bombay, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT-9827/75].

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर, भारतीय मशीन टूल्स निगम लिमिटेड, अजमेर और स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ की समीक्षायें और वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लेखे और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ख) (एक) भारतीय मशीन टूल्स निगम लिमिटेड, अजमेर के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय मशीन टूल्स लिमिटेड, अजमेर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9828/75)

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेख (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्य एल० टी० 9829/75]

चीनी (वर्ष 1974–75 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमत्री (श्री प्रभुदास पटेल): श्रीमन्, मैं श्री शाह नवाज खां की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1974-75 के उत्पाद के लिये मूल्य निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण), जो दिनांक 11 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 403(ङ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9830/75]

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जम्मू तथा काश्मीर राज्य के बारे में परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 42 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 281 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9831/75]

डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, डाक घर बचत प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम, आदि

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 339(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत प्रमाण पत्र (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 340 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9832/75]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 879 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9833/75]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 878 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 9834/75]

(5) बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उप-

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

बन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1992 में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9835/75]

राष्ट्रीय कृषि आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं चुनीदा निर्यात-प्रधान कृषि उत्पादों के कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय कृषि आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं (ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9836/75] ।

व्यापार पोत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं—

(1) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) व्यापार पोत (इंजीनियरों तथा मत्स्य जलपोतों के इंजन चालकों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1975, जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 744 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) व्यापार पोत (समुद्र में दुर्घटनाओं को रोकना) विनियम, 1975, जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 820 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 9837/75]

(2) राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 276(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजपत्र अधिनियम, 1956 सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिये संख्या एल० टी० 9838/75]

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन 1973-74

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों और नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 9839/75] ।

कम्पनी अधिनियम आदि के अन्तर्गत पत्र

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 343(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जून, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 9840/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण तथा प्रशासन के सम्बन्ध में वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन के शुद्धि पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 9841/75]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 620 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मेसर्स नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि एक सरकारी कम्पनी है, पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 100, 101, 102, 103, 104, 391 और 394 को लागू करने के बारे में अधिसूचना संख्या 15/14/73-आई जी सी।

(दो) सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 187ग लागू करने के बारे में अधिसूचना संख्या 15/14/75–आई जी सी।

(तीन) सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 लागू करने के बारे में अधिसूचना संख्या 15/33/74–आई सी जी।

(चार) सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 की उपधारा (1) लागू करने के बारे में अधिसूचना संख्या 15/17/74–आई जी सी।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल० टी० 9842/75]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 85 की उपधारा 4 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले प्रारूप आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या 33/58/73-सीएल iii की एक प्रति, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 81 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मेसर्स मैसूर आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को ऋण की राशि साम्यपूंजी में परिवर्तित करने का आदेश दिया जाना है। [ग्रन्थालय में रखीगयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 9842/75]

(5) कम्पनी (लाभांशों पर स्थायी निर्बन्धन) अधियिनम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) वारंट नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई,

1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सां० आ० 352(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9843/75]

इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों वाला संकल्प

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : मैं श्री सी० पी० माझी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9844/75]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 14 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 404(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) हल्का डीजल तेल (अधिनियम मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1975, जो दिनांक 14 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 405(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) भट्टी तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण तथा वितरण) तीसरा संशोधन आदेश, जो दिनांक 14 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 406(ङ) में प्रकाशित हुआ ।

(3) दिनांक 14 जुलाई, 1975 के सरकारी संकल्प (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) संख्या पी पीडी/ओ पी सी/आईआर/75 की एक प्रति जिसमें तेल मूल्य समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये हुये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6845] ।

संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उपयोग के बारे में वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, 1972-73

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं वर्ष 1972-73 के लिए हिन्दी के प्रसार तथा उसके प्रगामी उपयोग की गति को तेज करने सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी **देखिये** संख्या एल० टी० 9846/75]

भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० आ० 263(ङ) जो दिनांक 17 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिक्किम राज्य पर कतिपय नियम लागू किये गये हैं।

(दो) सां० आ० 264(ङ) जो दिनांक 17 जून, 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कार्मशियल ब्राडकास्ट रिसीवर लाइसेंसिंग (डीलर्स) नियम, 1965 सिक्किम राज्य पर लागू किए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9847/75]

रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 और गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन आदि 1973-74

श्री जे० बी० पटनायक : मैं निम्नोक्त पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी किए गए रक्षा सेवाओं में असैनिक कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 19 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9848/75]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत गार्डनरीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9849/75]

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वार्षिक प्रतिवेदन आदि, 1973–74

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम

लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०. 9850/75]

Review and Annual Reports of Singareni Collieries Co. Ltd, for 1973-74, National Coal Development Corporation Ltd., Ranchi and Notification under Mines and Minerals (Regulation and Development) Act.

The Deputy-Minister in the Ministry of Energy (Shri Sidheshwar Prasad): Mr. Speaker, I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(a) (i) Review by the Government on the working of the Singareni Collieries Limited, for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the Singareni Collieries Company Limited, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government on the working of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi. for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library *See* No. LT-9851/75].

(2) A copy of Notification No. G.S.R. 407(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 14th July, 1975, making further amendment to the Second Schedule to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, under sub-section (1) of section 28 of the said Act.

[Placed in Library. *See* No. LT-19852/75].

Notifications under Essential Commodities Act

The Deputy-Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): Mr. Speaker, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:—

(i) The Aluminium (Control) Second Amendment Order, 1975, published in Notification No. S.O. 353(E) in Gazette of India dated the 15th July, 1975.

(ii) The Aluminium (Control) Third Amendment Order, 1975, published in Notification No. S.O. 355(E) in Gazette of India dated the 15th July, 1975.

[Placed in Library. See No. LT-9853/75].

सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती कपड़ा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2074 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9853/75]

कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) योजना, शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेन्शन और बोनस योजना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं निम्नोक्त पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 10 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 593 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9854/75]

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 27 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 297(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) शिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 1975, जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 780 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9855/75]

(3) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेन्शन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 687 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 688 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 689 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 690 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 9856/75]

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वार्षिक प्रतिवेदन आदि ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9857/75)

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9858/75)

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1971–72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9859/75) ।

(4) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(चार) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9860/75)

(5) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउन्डरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाउन्डरी एण्ड फोर्ज टक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9861/75)

(7) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता के प्रतिष्ठापन पत्र तथा नियमों के खंड 42 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9862/75)

(8) (एक) भारतीय एतिहासिक अनुसंधान परिषद् के प्रतिष्ठापन पत्र तथा नियमों के नियम 45 के अन्तर्गत भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के वर्ष 1972–73 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9863/75)

(9) (एक) खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खुदा बख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 9864/75)

वित्तीय समितियां, 1974-75—एक समीक्षा

FINANCIAL COMMITTEES 1974-75—A REVIEW

महासचिव : श्रीमन्, मैं "वित्तीय समितियां, 1974–75 (एक समीक्षा)" (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नोक्त संदेशों की सूचना देनी हैं :—

(एक) कि राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में नागालैंड राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1975 पास किया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक, 1975 पास किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) विधेयक, 1975 पास किया है ।

(चार) कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1975 पास किया है ।

(पांच) कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1975 पास किया है ।

(छः) कि राज्य सभा ने 24 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबन्धों के अनुसार, लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1975 को पास किया गया संविधान (39वां संशोधन) विधेयक, 1975 बिना किसी संशोधन के पास किया है ।

(सात) कि राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 94वें सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया गया है ।

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव: श्रीमन्, मैं राज्य-सभा द्वारा पारित निम्नोक्त विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नागालैंड राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1975

(2) भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक, 1975

(3) केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) विधेयक, 1975

(4) कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1975

(5) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1975

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

तेईसवां प्रतिवेदन

श्री जगन्नाथ राव (छत्तरपुर) : मैं याचिका समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFITS

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सीमा शुल्क टैरिफ विधेयक

CUSTOMS TARIFF BILL

(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : मैं सीमा शुल्कों सम्बन्धी विधि के समेकन तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(दो) साक्ष्य

श्री बी० आर० भगत (शाहबाद) : मैं सीमा शुल्कों सम्बन्धी विधि के समेकने तथा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक

PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL.

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बी० एन० कुरील (रामस्नेहीघाट) : मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम,

1948 राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(दो) साक्ष्य

श्री बी० एन० कुरील : मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITTINGS OF THE HOUSE

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि अब सभा की बैठक मंगलवार, 29 जुलाई, बुधवार, 30 जुलाई और गुरुवार, 31 जुलाई, 1975 को भी होगी ।

संविधान (बत्तीसवां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-SECOND AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अतिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाया जाना

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो गये हैं । अत: मेरा निवेदन यह है कि सिंचाई मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें और बतायें कि इन लोगों की राहत के लिये क्या उपाय किये गये हैं ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं सिंचाई मंत्री से इस बारे में कह दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री से कहूंगा कि वे बाढ़ से हुई तबाही तथा सरकार द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिये किये गये उपायों के बारे में एक वक्तव्य दें ।

भारतीय सिक्का-निर्माण (संशोधन) विधेयक

INDIAN COINAGE (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करती हूं :—

"कि भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975

FINANCE (AMENDMENT) BILL, 1975

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Mr. Speaker, Sir, I welcome this Bill through which the exemption limit of income-tax is being increased from Rs. 6,000 to Rs. 8,000, because some salaried and other people belonging to the lower, lower middle and middle classes will be benefited. But keeping in view the soaring prices in the country and the bad economic position of the salaried people and other people belonging to the lower, lower-middle and middle classes, it would have been still better if the exemption limit had been raised to Rs. 10,000. The Government should give a serious thought to this suggestion, because the reactionary and fascist forces in the country are exploiting their discontentment to create undemocratic atmosphere in the country.

The Government should also consider the question of payment of the instalments of D.A. which have fallen due to the Government employees. A decision should be taken soon so that the sufferings of the employees are mitigated. In this connection it is also necessary to extend some help to those State Governments which are not in a position to pay enhanced D.A. to their employees.

In order to mitigate the sufferings of the Government employees and the people belonging to the lower and middle classes it is necessary that ration shops should be opened in Government offices and factories.

On the one hand the Government is making efforts to bring down the prices, on the other hand the Government has increased the prices in the Railway canteen functioning in the Parliament House. This is very unfair. If we want to ensure public involvement in the 21 point economic programme, we will have to mitigate their sufferings. Otherwise reactionary and fascist forces will try to exploit their sufferings and create undemocratic atmosphere in the country. It is therefore, high time to see that the grievances of the people are redressed.

Our country and my party have supported the economic programme chalked out by the Government. In order to implement this programme successfully, we should seek the cooperation of the people also.

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : श्री शास्त्री जी ने कहा था कि हमें 10,000 रुपये तक की आय वाले लोगों को सहायता देनी चाहिये अन्यथा लोग हमारा साथ नहीं देंगे । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपये की आय वाले लोगों को 7,000 रुपये की आय वाले लोगों से अधिक लाभ हो रहा है ।

वित्त मंत्री ने पूर्व और वर्तमान स्लैबों को मिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। यदि वह ऐसा न करते तो सरकारी कोष से लगभग 40 करोड़ रुपये खर्च होते जबकि ऐसा करने से केवल 21 करोड़ रुपये से काम चल जायेगा। इससे न तो कोष पर अधिक भार पड़ा है तथा लोगों को भी काफी लाभ हो गया है।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल प्रधान मंत्री ने ही नहीं बल्कि इस सदन के सभी वर्गों ने बजट अधिवेशन में कहा था कि इस सीमा को बढ़ा कर 8,000 तक किया जाना चाहिये। कुछ सदस्यों ने तो कहा था कि यह सीमा 10,000 या 12,000 तक बढ़ाई जानी चाहिये। परन्तु किसी न किसी सीमा तक तो फैसला होना ही होता है जो वर्तमान स्थिति को देखते हुये ठीक ही है।

हम समाजवाद की बात करते हैं, जब समाजवाद आ जायेगा तब कोई आय कर नहीं लगेगा। यह कदम भी समाजवाद लाने की दिशा में ही लिया गया है।

यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि 15,000 रुपये से अधिक आय वालों को 40 रुपये की छूट देने की क्या आवश्यकता थी क्योंकि लाखों रुपये कमाने वाले लोगों के लिये यह रकम तुच्छ के बराबर है। यदि इसका लाभ कम आय वाले लोगों को दे दिया जाता तो वह भी खराब बात न होती।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सरकार को 21 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह घाटा पूरा किया जा सकता है क्योंकि प्रशासन के पास अब कर की चोरी करने वाले लोगों का पता लगाने के लिये काफी समय होगा।

इस बात को देखते हुये भी कर में कमी की गई है कि लोग उपक्रम अधिक अच्छा काम करने लग जायेंगे। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की ओर ध्यान दें कि लोक उपक्रमों को ऐसे प्रशासकों को, जो काम में सुधार करें, कोई प्रोत्साहन दिया जाये। उनका जितना अच्छा काम होगा वित्त मंत्री उतनी ही कर में कमी कर सकेंगे जिससे मजदूरी करने वाले सभी लोगों को,जिनमें वेतनभोगी भी शामिल हैं, बहुत लाभ होगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री जो० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : आय-कर सरकारी राजस्व का एक महत्वपूर्ण साधन है। 1973–74 में 1304 करोड़ रुपये की तुलना में 1974–75 में आय कर से 1507 करोड़ रुपये की सरकार को आय हुई। आय-कर दाताओं की संख्या 1973–74 में 34.36 लाख से बढ़ कर 1974–75 में 38.74 लाख हो गई है।

गत छः महीनों में विभिन्न व्यापार गृहों, महलों तथा अन्य अनेक स्थानों पर आय-कर अधिकारियों ने अनेक छापे मारे हैं। जयपुर के भूतपूर्व शासकों के महलों पर आय-कर अधिकारियों ने पहली बार छापा मारा है। वित्त मंत्री कृपया बतायें कि इन छापों का क्या परिणाम निकला है। समाचार-पत्रों से पता चला है कि इन छापों के दौरान करोड़ों रुपये की कीमती धातु, विभिन्न दस्तावेज तथा अन्य चीजें पकड़ी गई हैं वित्त मंत्री कृपया बतायें कि इन छापों से सरकारी कोष में कितना धन आया है। इन दस्तावेजों से यह भी पता चला होगा कि विदेशों में विशेषकर

स्विटजरलैण्ड में लोगों ने बैंकों में खाते खोल रखे हैं। माननीय मंत्री कृपया यह बतायें कि ऐसे कितने मामलों का सरकार को पता लगा है क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

हम काफी समय से मांग करते चले आ रहे थे कि आय-कर की सीमा को 6,000 रुपये से आगे बढ़ाया जाये। यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधान मंत्री ने इस सीमा को, 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 रुपये कर दिया है। बूथालिंगम समिति ने सिफारिश की थी कि छूट की सीमा 12,000 तक की जानी चाहिये। हमें एक बीच का तरीका निकाल कर इसे 10,000 रुपये तक कर देना चाहिये।

आय-कर की यह सीमा बढ़ाये जाने से सात लाख करदाताओं को लाभ पहुंचेगा। परन्तु सरकार का कहना है कि उसे 25 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को इससे लाभ होगा क्योंकि उसका प्रशासन व्यय तथा आयकर इकट्ठा करने का व्यय कम हो जायेगा। दूसरे सात लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचने से औद्योगिक उत्पादों की मांग बढ़ जायेगी तथा इस प्रकार के विक्रय से सरकार को अधिक उत्पादन शुल्क मिलेगा जिससे आयकर की कमी कुछ हद तक कम हो जायेगी।

जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने कहा है जहां जहां भी आय-कर वसूल किया जाये वह तुरन्त सरकारी खाते में जमा करा दिया जाना चाहिये।

कर-दाताओं की संख्या बढ़ने से कर वसूल करने की लागत भी हर वर्ष बढ़ रही है। आय-कर विभाग कर की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। इसलिये सरकार को यह देखना चाहिये कि इस विभाग के लोग ईमानदार हों। आय कर विभाग के लोगों को जो सुविधायें वे चाहें दे दी जानी चाहिये परन्तु यदि उनके पास आय की तुलना में अधिक सम्पत्ति का धन पाया जाये तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे सात लाख करदाताओं को लाभ होने वाला है।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : लघु करदाताओं को जो लाभ होने वाले हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिलने चाहियें। ये लाभ कृषि समुदाय के लोगों को भी दिये जाने चाहिये। क्योंकि वे देश के महत्वपूर्ण अंग हैं। मैं समझता हूं कि चूंकि उनका कोई संगठन नहीं है इसलिये सरकार उनके बारे में रुचि नहीं लेती। क्योंकि कृषि सम्बन्धी आय राज्य का विषय है इसलिये सरकार को राज्य सरकारों को सलाह देनी चाहिये कि वे छोटे किसानों को भी लाभ पहुंचायें। वे लोग कर की चोरी नहीं करते। कर की चोरी करना दूसरी श्रेणी के लोगों का काम है। काले धन का पता लगाने के लिये विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। परन्तु कर की चोरी करने के कई तरीके हैं। केवल कृषि समुदाय तथा लघु कर्मचारी ही कर की चोरी नहीं करते अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसा तरीका निकालें जिससे 8,000 रुपये से कम आय वाले किसानों को कर न देना पड़े। सभी क्षेत्रों में आर्थिक समानता होनी चाहिये। आर्थिक समानता से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हर एक को समान धन मिलना चाहिये। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि हर एक को इतना अवश्य मिलना चाहिये जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

हमें बिना बिलम्ब के ग्रामीण जनता की ओर ध्यान देना चाहिये जो बहुत असन्तुष्ट है। सरकार ने हाल में चीनी के लिये लेवी मूल्य की घोषणा की है। मैं समझता हूं कि यदि उन्हें उचित मूल्य न मिला तो उत्पादन में कमी आ जायेगी। इस समय तीन श्रेणियां हैं। वेतनभोगी, औद्योगिक वर्ग तथा कृषि समुदाय। उत्पादक केवल कृषि श्रमिक ही है तथा वह जो पैदा करता है उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। अतः वित्त मंत्री कृपया राज्य सरकारों को आदेश दें कि वे आर्थिक असमानता को दूर करें तथा यदि हो सके तो भूराजस्व और अन्य कर समाप्त कर दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस वर्ष वित्त विधेयक पर चर्चा करते समय प्रायः सभी सदस्यों ने मांग की थी कि आय-कर से छूट प्राप्त आय की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000, 10,000 या 12,000 रुपये कर दी जाये। इस मांग को ध्यान में रखते हुये वित्त मंत्री ने इस सीमा को बढ़ा कर 8,000 रुपये कर दिया है। इसके लिये वे बधायी के पात्र हैं। इससे कई वेतनभोगियों को राहत मिलेगी। यदि इस सीमा को बढ़ा कर 10,000 रुपये कर दिया जाये तो और भी अच्छा होगा क्योंकि ऐसा करने से सरकार को राजस्व के मामले में इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आय कर विभाग के वे अधिकारी भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाल कर सीमित साधनों और कम कर्मचारियों की सहायता से जयपुर राज महल और अन्य बड़े बड़े व्यापार-गृहों पर छापे मारे और प्रचुर मात्रा में काले धन का पता लगाया। यद्यपि उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिये गये, तथापि उन्होंने इन प्रलोभनों की उपेक्षा कर के इतना अधिक सराहनीय कार्य किया। इसी प्रकार अन्य भूतपूर्व राजाओं के महलों पर छापे मार कर काले धन का पता लगाना चाहिये। कर की चोरी करने वालों तथा चोरी छिपे माल लाने-ले-जाने वालों का पता लगाकर आयकर से दी जा रही राहत से होने वाली कमी को पूरा किया जा सकता है। प्रति वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये के कर की चोरी की जा रही है। बकाया राशि वसूल करने में कई कठिनाइयां सामने आ रही हैं। जब भी सरकार कर की वसूली करने के लिये किसी कारखाने को अपने हाथ में लेने के लिये कोई कार्यवाही करती है, कारखाने के स्वामी न्यायालयों से 'स्टे आर्डर' ले आते हैं। कारखानों के स्वामियों को ऐसा करने से रोकने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि कोई ऐसा विधान बनाया जाये जिससे कर-अपवंचक न्यायालयों में न जा सकें। चाहें इस प्रयोजन के लिये हमें संविधान का संशोधन कर के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित ही क्यों न करना पड़े। कर की वसूली करने के लिये हर सम्भव कार्यवाही की जानी चाहिये और करों की चोरी करने वालों को कड़ी सजा दी जानी चाहिये।

आय कर की उच्चतम दर 75 प्रतिशत से बढ़ा कर पुनः 97 प्रतिशत कर दी जाये जिससे सरकार को आयकर से अधिक आय हो।

आय कर विभाग में विशेषकर कानपुर में आय कर कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उनकी कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये और पदों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये।

श्री एस० आर० दाभाणी (शोलापुर) : मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने आय-कर से छूट प्राप्त आय की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 रुपये कर दी हैं। इससे कई वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राजस्व से होने वाली आय पर भी इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आयकर अधिकारी बड़े-बड़े कारबार-गृहों की आय सम्बन्धी विवरणियों की ओर

अधिक ध्यान दे सकेंगे और इससे छूट से होने वाली 21 करोड़ रुपये की कमी को न केवल पूरा ही किया जा सकेगा परन्तु कर की अधिक वसूली भी की जा सकेगी । आयकर अधिकारियों को अधिक आयकर की वसूली करने पर बोनस देने की योजना बहुत अच्छी है । इस योजना को जारी रखा जाना चाहिये । जिससे आयकर अधिकारी अपने काम में दिलचस्पी लें और अधिक कर वसूल कर सकें ।

बड़े-बड़े नगरों में रह रहे आय कर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये निवास की व्यवस्था की जानी चाहिये, क्योंकि उन्हें इस मामले में बड़ी कठिनाई होती है । बड़े-बड़े नगरों में भवनों का निर्माण-कार्य विभाग स्वयं करे और इस के लिये आवश्यक निधि का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । इस मामले पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये ।

आय कर की बकाया राशि के बारे में अधिक विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिये । जिसमें सदस्यों को पता लग सके कि बकाया राशि के वसूल करने में कितना सुधार हुआ है । क्योंकि केवल यह बता देने से काम नहीं चलेगा कि कर की बकाया राशि 700 करोड़ या 800 करोड़ रुपए हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व संपरीक्षा विभाग, आयकर तथा राजस्व बोर्ड के बीच उपयुक्त समन्वय नहीं है । इन विभागों में अधिनियम की धाराओं के अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं और इस प्रकार राजस्व संपरीक्षा विभाग द्वारा की गई आपत्तियों के कारण पुराने मामलों पर पुनर्विचार किया जाता है । इससे निर्धारितियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसके फ़लस्वरूप मुकदमों की संख्या भी बढ़ जाती है । अतः मेरा सुझाव है कि इन विभागों के बीच उपयुक्त समन्वय होना चाहिये जिससे बाद में आपत्तियां न उठाई जा सकें । इससे न केवल निर्धारितियों को ही परन्तु विभाग को भी लाभ होगा । आशा है वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

बैंकों और डाकघरों के जमाखातों में अधिक धन की प्राप्ति के लिये सरकार को जमाखातों से होने वाली आय पर आय-कर से छूट प्राप्त सीमा 3,000 रुपए से बढ़ा कर 5,000 रुपए कर देनी चाहिये । 3,000 रुपए की यह सीमा 1970 में जब निश्चित की गई थी तब बैंक 9 प्रतिशत ब्याज देते थे । चूंकि अब ब्याज की दर बढ़ कर 10 से 12 प्रतिशत हो गई है, इसलिये 5,000 रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगना चाहिये । ऐसा करने से लोग बैंकों, डाकघरों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में अधिक धन जमा करायेंगे और इस प्रकार लोगों के हाथ में कम धन रहने से वस्तुओं की कीमतें भी नीचे आ जायेंगी ।

वित्त मंत्री ने मूल्यों को कम करके और मुद्रास्फ़ीति पर नियंत्रण करके बहुत ही सराहनीय कार्य कर दिखाया है । इस समय जब अन्य देशों में मुद्रास्फ़ीति बढ़ी है, यह इस देश में कम हो गई है । यह एक बहुत बड़ी सफ़लता है जिसका श्रेय वित्त मंत्री को है जिन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है । इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975 का स्वागत करता हूं जिसमें आयकर से छूट की सीमा को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए तक करने का प्रस्ताव है । मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं तथा विधेयक का समर्थन करता हूं । परन्तु इसके साथ ही साथ मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि वित्त मंत्री ने आय-कर अधिनियम, 1961 के खण्ड 26 की धारा 10 में अन्तर्विष्ट अनुसूचित जनजातियों के मामले में आय-कर की छूट सम्बन्धी भेदभाव को दूर करना उचित नहीं समझा है ।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
Shri C. M. Stephen in the Chair]

संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 25 के अनुसार आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मनीपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ही पूर्णतः आय-कर से छूट है ।

उच्चतम न्यायालय यह निर्णय दे चुका है कि आय-कर की धारा 10(26) द्वारा मंजूर छूट से सरकारी कर्मचारी को अलग करना भेदभावपूर्ण है तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है। आयकर अधिनियम की धारा, जिसमें कुछ अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों को नहीं, कुछ क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों को उन क्षेत्रों के अन्य लोगों को नहीं, आयकर से छूट देने की व्यवस्था है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करती है । इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आय-कर अधिनियम की इस धारा अर्थात् 10(26) का उचित संशोधन किया जाए ताकि कुछ क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को हानि पहुंचाए बिना भारत में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों को आय-कर से समान छूट मिले ।

यह कदम हमारे देश में क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रधान मंत्री द्वारा तैयार किए गए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को कार्यरूप देने की दिशा में तेजी से अग्रसर होगी ।

Shri Pannalal Barupal (Ganga Nagar): Mr. Chairman, Sir through you. want to covey it to this august House that customs officers have taken fifty thousand rupees and have not charged duty on articles worth rupees sixty lakhs: The Government should enquire into this matter.

श्री पी० के० घोष (रांची) : 1960 में आय-कर में न्यूनतम छूट सीमा 42,00 थी । आज रुपए का मूल्य लगभग 300 प्रतिशत कम हो गया है । अतः यह छूट सीमा बढाकर 12,000 रुपए की जानी चाहिए । परन्तु यदि इतनी सीमा बढ़ाना उचित नहीं है तो कम से कम 10,000 रुपए तक तो अवश्य ही की जानी चाहिए ।

ऐसा कहा गया है कि सीमा बढ़ाये जाने से सरकार को 21 करोड़ रुपए की हानि होगी । परन्तु मेरा कहना है कि सरकार को इससे हानि नहीं होगी बल्कि और लाभ होगा क्योंकि लाखों व्यक्तियों को, कर से छूट मिलने के कारण, आय-कर से छूट मिल जाएगी और सरकार को लाखों फ़ाइलें नहीं खोलनी पड़ेंगी तथा आय-कर विभाग का काफी काम हल्का हो जाएगा । काम हल्का होने से वे लोग ठीक लोगों से कर लेने, कर की चोरी पकड़ने पर अधिक समय लगाएंगे तथा इस तरह से अधिक कर इकट्ठा होगा ।

मैं हमेशा यही कहता आ रहा हूं कि आय-कर की अधिकतम सीमा को कम किया जाना चाहिए । सरकार ने पिछले से पिछले वर्ष इसे 97 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक ला कर अच्छा ही किया । इसे पुनः नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । कराधान की दर उचित सीमा तक घटाने से कर की चोरी करने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है ।

मैं तो यही सुझाव दूंगा कि सरकार को कुछ एक हाथों में धन का एकाधिकार तथा सेकेन्द्रण रोकने की दृष्टि से आय-कर बढ़ाने का प्रयास करने की बजाय व्यक्ति विशेष की चल और अचल

सम्पत्ति पर कर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से उपहारों पर अधिक कर लगाने से हमें काफी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो सकती है ।

चूंकि अब आपात की स्थिति है इसलिए काले धन का पता लगाने तथा आयकर की चोरी रोकने के लिए सरकार को अपनी इस आपात स्थिति की शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। सरकार थोक व्यापारियों को कह रही है कि अपना स्टाक बताएं इसे गुप्त स्टाक पर भी नजर रखनी चाहिए। ये गुप्त स्टाक काले धन से खरीदे जाते हैं। इसलिए जहां सूचना विभाग को गुप्त स्टाक का पता लगे वहां आयकर अधिकारियों को भी इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह स्टाक कहां से आया तथा उन्हें उस पर आय-कर लगाना चाहिए तथा कानून के अनुसार दण्ड देना चाहिये।

नगरीय सम्पत्ति पर सीमा लगाए जाने से काले धन का विनियोजन रुक जाएगा। सीमा लगाए जाने से सरकार के लिए काले धन का पता लगाना आसान हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मेरा यह सुझाव है कि यदि सम्भव हो तो न्यूनतम आय-कर छूट सीमा 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जाए।

Shri Ram Singh Bhal (Indore):Mr. Chairman. Sir, this is an important Bill. This Bill is mainly concerned with low income group. The persons whose income is upto rupees eight thousand per annum have been exempted from income-tax Previously such persons had to face many difficulties. But now with the increase of the cost of living their dearness allowance has also been increased. Thus their income has also increased but now these people cannot get full advantage of the increase in their dearness allowance due to the imbalance of income-tax. The Finance Minister deserves congratulations for the present relief granted to them by raising the income-tax exemption limit for Rs. 6,000 to 8,000. We should also not forget that in the last budget also some relief had been granted to them by making their gratuity and retrenchment compensation tax free. Thus the relief being given to them by the present Bill should not be considered very significant. It amounts to an increase of Rs. 22 per month in the income of those whose monthly income is Rs. 666 and for those whose monthly income is Rs. 750 their income increased by Rs. 17 and 40 paise p.m and so on: Thus we can say that in this emergency period this income is quite significant.

In the last Budget there was a provision to impose tax even on that amount of gratuity which was utilized by textile mills as a working capital. I would suggest that a gratuity trust should be formed on the same lines as the Provident Fund Trust has been formed. At the same time the entire amount of gratuity should be deposited with this Trust. The amount thus deposited with the Trust can be made use of for development works.

At the end I would like to say that by increasing the income-tax exemption limit to Rs. 8,000 the hon. Minister has given a great relief to the working and middle class people for which I am very grateful to him.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : प्रधान मंत्री द्वारा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए घोषित कार्यक्रमों के आधार पर आयकर की जो छूट सीमा बढ़ाई गई है और उससे जो सात लाख लोगों को लाभ पहुचेगा उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं यह जानना चाहता हू कि क्या इससे

लाभान्वित व्यक्ति ईमानदारी तथा कार्यकुशलता के साथ काम करेंगे और प्रधान मंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रमों की क्रियान्विति में सहयोग देंगे या वे अपनी मांगों में और बढोतरी करेंगे। मेरे विचार से यह छूट सीमा 8000 रुपये से अधिक कदापि नहीं बढ़ायी जानी चाहिए। 800 रुपये से अधिक आय वाले लोग ही अधिकाधिक राहत मांगते हैं जबकि ऐसे लोगों की गरीब लोगों के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। केवल मुखर वर्ग ही अधिक लाभ उठा पाते हैं। सरकारी राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग वेतन पर खर्च किया जाता है। वित्त मंत्री को चाहिए कि सभी अनुत्पादक खर्चों को रोकें और उपरिसमय भत्ते को समाप्त करें।

गत वर्षों में कृषि पैदावार तो बढ़ी है परन्तु किसानों को उसका अच्छा मूल्य नहीं दिलाया गया है। यह दशा चीनी उद्योग की है। चीनी की लागत भारी कर के कारण बहुत अधिक बढी हुई है। अतः चीनी पर कर घटाया जाना चाहिए और चीनी की कीमत युक्तियुक्त आधार पर तय की जानी चाहिए। चीनी के निर्यात से सरकार को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिल रही है। अतः चीनी की वर्तमान कीमतों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे कि चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों दोनों को ही उसका लाभ मिले।

Shri M. C. Daga (Pali): Discontentment will continue to grow in the nation unless we get economic emancipation and the economic disparities are reduced. You have done something but you should overhaul your Govt. machinery. Although there is a large establishment in the Income Tax Department but it is not efficient. Even simple graduates who have no specialised knowledge of accountancy are recruited as Income tax officers. I am quoting from a book by N. Nandi titled "Wanchoo Committees Judicial suicide and the cloom of the Income Tax" that the versatility and all round qualities required of an Income Tax Officer peculiar to him alone combining in himself the qualities of a policeman, an accountant, a lawyer and a judge is wholly ignored in building up the training scheme of I. T. Officers.

I want to know how many officers in the Income Tax Department have been suspended for inefficiency or for accumulating money by accepting illegal gratification. I also want to know whether the hon. Minister has ever enquired about the manner in which tax evasion takes place in partnership and joint Hindu families. There is a large number of bogus partnership firms formed for evading taxes. Merely raising the income tax limit will not help in delivering goods. The economic disparities must be reduced and accumulation of wealth must be checked.

It is only Income Tax and Sales tax department where the officers have earned huge sums of money. Even the Public Accounts Committee have expressed concern that their suggestion for providing an additional column in the Income Tax Return to keep a watch over the receipt of any outstanding professional income of more than Rs. 50,000 has not been accepted and no reason for turning it down has been offered so far. Although the raising of tax exemption limit from Rs. 6000 to Rs. 8000 is a welcome step as it will bring some relief to individuals in lower income brackets but it will not help much until the economic disparities are removed.

Shri Ram Hedaco (Ramtek): I welcome this Bill because it makes a provision for raising the income tax exemption limit from Rs. 6000 to Rs. 8000. But it does not include any provision to check Tax evasion. The Income tax officers are in collusion with capitalists in the process of tax evasion. Some persons belonging to

the ruling party are also in collusion with big capitalists and help them in evading taxes. Government should look into this matter. All those loopholes which facilitate tax evasion should be plugged. Government should obtain a declaration of the property of Income Tax officers and their relations before they are recruited and this declaration should be got renewed every two years. Steps should be taken to realise the income tax arrears from big capitalists. The small income-tax payers are harassed and their cases are not finalised expeditiously. whereas big capitalists are being given all protection and facilities. This matter should also be looked into.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : आपात स्थिति के दौरान उन वायदों पर शीघ्र अमल किया जा सकता है जो अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं ।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है, जब तक लोगों से परियोजनाओं की क्रियान्विति में भाग लेने को नहीं कहा जाता, तब तक हमारी समाजवादी योजना कभी सफल नहीं हो सकती । समाजवादी देशों में लोग परियोजनाएं पूरी करने के लिए स्वेच्छा से श्रमदान करते हैं । हमें भी बांधों, जलाशयों तथा सड़कों सम्बन्धी अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लोगों का सहयोग लेना चाहिए ताकि इस अवधि में उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके ।

प्रत्येक राज्य में, चाहे वह उत्तर में हो अथवा दक्षिण में या मध्य में अथवा सीमावर्ती, बाढ़ व सूखे से प्रभावित होता है । जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं, तब तक देश खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकता । उठाऊ सिंचाई व्यवस्था (लिफ्ट इरीगेशन सिस्टम) के सम्बन्ध में एक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए । जिस अवधि तक हमारी सभी नदी घाटी परियोजनाएं पूरी हो जानी चाहिएं । उपरोक्त सिंचाई यदि सभी गांवों के लिए संभव न हो सके तो कम से कम ऐसे कुछ गांवों में तब भी होनी चाहिए जिन्हें सहकारी व्यवस्था के अधीन लाया जा सकता है ।

हमारे देश की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है किन्तु चिकित्सा सुविधाएं शहरी जनता को प्राप्त हैं । हमारे देश में आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा प्रणालियां हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं ।

चिकित्सा सुविधाओं के अलावा सरकार को शिक्षा तथा स्टैन्डर्ड कपड़े की भी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए । आज कपड़ा मिलें कीमती कपड़ा तैयार करती हैं जबकि उनसे स्टेंडर्ड कपड़ा तैयार करने के लिए भी कहा जाता है किन्तु वे सरकार के इस आदश की अवहेलना करते हैं चाहे उन्हें आर्थिक दण्ड देना पड़े क्योंकि उन्हें कीमती कपड़ा बनाने से अधिक मुनाफ़ा होता है । अतः सरकार को इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ।

डा० कैलाश (बम्बई-दक्षिण) : वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गये वित्त (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करता हूं ।

उद्ग्रहीत की जाने वाली चीनी (लेवी सूगर) का कारखाना द्वार मूल्य (एक्स-फैक्टरी प्राइस) किसी राज्य में तो बहुत अधिक बढ़ाया गया है और कहीं घटाकर बहुत कम कर दिया गया है । चीनी का मूल्य इतना अधिक नहीं घटना चाहिए जिससे कि गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़े क्योंकि गुड़ और खांडसारी का उत्पादन कम होने पर उसका सीधा असर किसान पर पड़ता है । चीनी का मूल्य 4 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं किया जाना चाहिए और कारखानों में उसका उत्पादन 45 लाख टन प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए ताकि हमें उससे विदेशी मुद्रा भी मिलती रहे ।

हमें सिंचाई एवं विद्युत् उत्पादन की केवल बड़ी योजनाओं पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं कर देना चाहिए, हमें ऐसी परियोजनाओं पर अधिकाधिक धन खर्च करना चाहिए जिनसे राष्ट्र को शीघ्र लाभ हो सके। इसलिए देश में छोटी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमें विश्व को यह दिखा देना चाहिए कि हमने आपात स्थिति देश में अनुशासन लाने, उत्पादन बढ़ाने, मूल्यों को कम करने तथा हर व्यक्ति को उसका हक देने के लिए प्रख्यापित की है।

श्रमिक वर्ग की स्थिति पर भी हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। यदि उन्हें महंगाई भत्ता देय है, तो हमें उसे देने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वितरण प्रणाली में और अधिक सुधार किया जाना चाहिए विशेषकर देहाती क्षेत्रों में।

अन्त में, मैं प्रधान मन्त्री महोदया को आयकर की छूट सीमा को 6,000 रु० से बढ़ा कर 8,000 रु० करने के लिए बधाई देता हूं। किन्तु भविष्य में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक लाभ कमाकर सर्वाधिक तथा न्यूनतम आयकर दाताओं के बीच अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात 1 : 10 के स्तर पर लाया जाना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : प्रधान मन्त्री ने कर में राहत की जो घोषणा की है हम उसका स्वागत करते हैं। मुद्रास्फीति को नियन्त्रण में लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं। जुलाई, 1974 की तुलना में जुलाई, 1975 में मुद्रास्फीति की दर 9 प्रतिशत कम हो गई है। 4 जुलाई, 1975 को जो सप्ताह समाप्त हुआ उसमें मुद्रा की सप्लाई में 29 करोड़ रुपए की कमी हुई है। बिजली की सप्लाई की ओर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। मुझे पता चला है कि सिंचाई के लिए 1000 करोड़ रुपए तथा बिजली के लिए 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। उर्वरकों के मूल्यों में भी कमी हुई है। आय-कर की छूट की रकम जो 6,000 रुपए थी अब बढ़ा कर 8,000 रुपए कर दी गई है तथा हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यह छूट पर्याप्त नहीं है। हमें विशेषकर इस वर्ग को और राहत देनी चाहिए। मध्यवर्ग के लोगों की, जिनकी 10,000 रुपए तक आय है, ऋणग्रस्तता बढ़ गई है तथा उन्हें कुछ राहत देने की आवश्यकता है। वित्त मन्त्री को छूट की यह रकम बढ़ा कर 10,000 रुपए कर देनी चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम वह यह तो कर सकते हैं कि 2,000 रुपए की लघु बचत को शामिल करके छूट 10,000 रुपए कर दें। इसका अर्थ यह होगा कि वह परिवार जो 2,000 रुपए छोटी बचत से जमा करेगा उसे आयकर से छूट दी जा सकेगी। हमें छोटे लोगों को राहत देनी चाहिए तथा काला धन रखने वाले लोगों के पर व्यय कर लगाना चाहिए। व्यय के जरिए काला धन हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का बोझा डाल रहा है।

यदि हम कर इकट्ठा करने वाले ढंग को सुचारू रूप बना दें तो न केवल आय-कर, सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क में वृद्धि होगी बल्कि हम कमी को भी पूरा कर सकेंगे। कर इकट्ठा करने वाले ढंग को मजबूत बना कर हम बजट के घाटे को भी पूरा कर सकते हैं। तथा कम आय वाले लोगों को राहत भी दे सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाएगी।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : सभापति महोदय, यह एक बहुत साधारण विधेयक है परन्तु चूंकि यह वित्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है इसलिए इस विधेयक पर अधिक वाद-विवाद हुआ है। जहां तक आय-कर अधिनियम के कार्यकरण का सम्बन्ध है तथा जहां तक आय-कर विभाग के प्रशासनिक ढांचे मे सुधार करने का सम्बन्ध है मुझे यकीन है कि माननीय सदस्यों को पता है कि हमने वांचू समिति बनाई थी जिसने इस बारे में विचार किया था। उस आधार पर प्रवर समिति को एक विधेयक भेजा गया था। प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है तथा आगामी कुछ दिनों में

वह विधेयक इस सदन के सामने विचारार्थ लाया जाएगा । मेरे विचार से आयकर विभाग के बारे में जो भी बातें उठाई गई हैं उन पर तब ही विचार करना ठीक होगा ।

कुछ सदस्यों ने चीनी पर लेवी निर्धारण की बात की थी । इस सम्बन्ध में आंकड़े मेरे पास नहीं हैं इसलिए मैं इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता । परन्तु जो भी सुझाव इस बारे में दिए गए हैं उन पर अवश्य ही विचार किया जाएगा ।

कुछ सदस्यों ने छापे मारे जाने तथा उनके परिणामों के बारे में चर्चा की थी । इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने गत वर्ष 2,000 छापे मारे थे तथा लगभग 20 करोड़ रुपए की परिसम्पत्ति जब्त की थी । परन्तु यह सब अपर्याप्त ही था । तलाशी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज भी पकड़े गए हैं जिनसे छिपी आय का पता चलने की सम्भावना है । इनसे कर की चोरी करने वालों का भी पता चलेगा जिनसे न केवल कर ही वसूल किया जाएगा अपितु उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी ।

हमारी जांचों से सम्बन्धित रोकादेशों की चर्चा भी की गई है । मैं इस बात से सहमत हूं कि न्यायालयों के आदेश हमारी जांच के रास्ते में बाधक हैं परन्तु इस चीज को दूर करने के लिए हमें विभिन्न कानूनों में संशोधन करने पड़े हैं । सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है तथा यदि वह आवश्यक समझेगी तो वह संविधान में भी संशोधन कर देगी । मैं समझता हूं कि विशेषकर आर्थिक अपराधों के मामले में रोकादेश नहीं होने चाहिएं । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हमने कुछ बड़े व्यापार गृहों की जांच करने के लिए 'सरकार आयोग' बनाया था । लेख याचिका दे दी गई तथा सम्पूर्ण जांच कार्य रुक गया । इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है तथा हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि न्यायालय प्रणाली का दुरुपयोग न हो और हमारा जांच-कार्य रोकने के लिए निहित स्वार्थों वाले लोग इसका लाभ न उठा सकें ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुख्य बात यह कही गई है कि 8,000 रुपए की सीमा को बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दिया जाए । यह बहुत खुशी की बात है कि इस विधेयक के बारे में सभी एकमत हैं । इसका हम स्वागत करते हैं । परन्तु आवेश में आकर हमें यह नहीं कह देना चाहिए कि सीमा को और बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दिया जाए क्योंकि हमें इस बात को भी देखना होगा कि इन लोगों का सारे समाज में क्या दर्जा है । दूसरे 8,000 रुपए कर योग्य आय है । जहां तक वेतन से होने वाली आय का सम्बन्ध है करदाता 10,000 रुपए तक के वेतन में से 20 प्रतिशत कटौती तथा 10,000 रुपए से अधिक वेतन में से 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 3,500 रुपए तक की कटौती करा सकता है । अतः जहां कुल आय 11,000 रुपए है वहां यदि वह 900 रुपए की बीमे की पालिसी करा ले तो उसे कोई कर नहीं देना होगा । जहां तक कर योग्य आय का सम्बन्ध है 8,000 रुपए तक आय होने पर कोई कर नहीं देना होगा । ऐसे व्यक्ति को इस योजना से 264 रुपए वार्षिक राहत मिलेगी । 9,000 रुपए कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 209 रुपए, 10,000 रुपए कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 154 पए, 11,000 रुपए कर योग्य वाले व्यक्ति को 132 रुपए, 12,000 रुपए कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 110 रुपए, 13,000 कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 88 रुपए, 14,000 कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 66 रुपए, 15,000 रुपए तथा इससे अधिक कर योग्य आय वाले व्यक्ति को 44 रुपए की राहत मिलेगी । इसमें अधिक आय कम राहत तथा अधिक राहत कम भार का सिद्धान्त अपनाया गया है । अतः इस राहत को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की दलील ठीक नहीं है । दूसरी ओर 8,000 रुपए की आय कर योग्य आय है लेकिन अब इसको छूट दी गई है । 10,000 रुपए को कुल आय के स्तर पर तो पहले ही राहत दी गई है । लेकिन जहां तक कर योग्य आय का सम्बन्ध है विधेयक में 8,000 रुपए

से अधिक आय पर भी राहत देने की योजना है। इसलिए इसे बढ़ा कर 10,000 रुपए करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।

यह भी कहा गया था कि यदि हम अधिक राहत देंगे तो लोग इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में अपना समर्थन देंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि लोगों को यह कार्यक्रम पसन्द है इसीलिए वे इसका समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसा कहना उन लोगों के प्रति न्याय करना नहीं है। उन्हें गरीबों को राहत देने वाले कार्यक्रम में विश्वास है। यदि माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें तो उन्हें आयकर की छूट की सीमा को बढ़ा कर 8,000 रुपए तक करने वाले विधेयक का स्वागत करना चाहिए। परन्तु इससे आगे सीमा बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं है। मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

सभापति महोदय : खण्ड 3 पर संशोधन हैं।

श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सरकार पहले ही सभा को बता चुकी है कि किन परिस्थितियों के कारण वर्तमान आपात की स्थिति की घोषणा की गई है । गत कुछ वर्षों से राजनीतिक दलों की गतिविधियों से देश के जन जीवन में नफरत और हिंसा की भावना पैदा हो गई थी तथा देश में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता पैदा करने का प्रयास किया गया था । इससे असाधारण स्थिति पैदा हो गई थी तथा सारा देश हिंसा, नफरत और मिथ्यावाद के वातावरण से दूषित किया जा रहा था । इस असाधारण स्थिति के लिए असाधारण कदम उठाना जरूरी था । हमें 'आंसुका' के अन्तर्गत तुरन्त निरोधात्मक कार्यवाही करनी पड़ी । ऐसी असाधारण परिस्थिति में जहां सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र विनाशकारी तत्वों की गतिविधियों के विरुद्ध निरन्तर कठोर निगरानी रख रहा है वहां उपरोक्त कार्यवाही के द्वारा अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले मुकदमों से उत्पन्न होने वाले अन्य कामों की ओर विधि, आसूचना एजेंसियों का ध्यान जाने से रोकना आवश्यक हो गया था ।

इसी लिए 27 जून, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 359 के अन्तर्गत आदेश जारी किया गया । जिससे संविधान के भाग-3 में उल्लिखित कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को

निलम्बित किया गया जिनके लिए सरकार को देश के अधिकाधिक हित में निरोधात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

विधेयक में एक नई धारा (धारा 18) जोड़ने का प्रस्ताव है । इससे कोई भी नजरबन्द व्यक्ति प्राकृतिक कानून या सामान्य कानून के द्वारा अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का दावा न कर सकेगा ।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपातकाल में निरोधात्मक आदेश आवश्यकता से अधिक समय तक न रहे ऐसा उपबन्ध किया गया है कि जहां निरोध आदेश राज्य सरकार के अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया है वहां राज्य सरकार 15 दिन के भीतर इस बात की पुष्टि करेगी कि ऐसा आदेश जरूरी है या नहीं तथा राज्य सरकार द्वारा ऐसी पुष्टि किये जाने पर भी चार महीने के भीतर यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ऐसे मामले पर पुनर्विचार करेगी ।

आंसुका की वर्तमान धारा 14 के द्वारा किसी व्यक्ति को तब तक पुनः नजरबन्द नहीं किया जा सकता जब तक कि उस की रिहाई के बाद उसके बारे में कोई आपत्तिजनक बात ध्यान में नहीं आती । वर्तमान आपात स्थिति के सन्दर्भ में तकनीकी आधार पर नजरबन्द व्यक्तियों की सम्भावित रिहाई से देश के अधिकाधिक हित में प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले उपायों को भारी आघात पहुंच सकता है । इसलिए इस गतिरोध को दूर करने के लिए धारा 14 का संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

आंसुका के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को नजरबन्द करना निरोधात्मक कार्यवाही है इसलिए आंसुका के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता । फिर भी कई मामलों में नजरबन्द व्यक्तियों को रिहा किया गया है । अतः आंसुका में ऐसा विशिष्ट उपबन्ध शामिल करना आवश्यक हो गया है जिससे नजरबन्द व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने पर प्रतिबंध हो । इस संबंध में कुछ संशोधन दिए गए हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि सभा इस पर विचार करके अपनी अनुमति दे ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यह विधेयक असाधारण परिस्थितियों के कारण लाना पड़ा है । जो लोग 26 जून से पहले चल रहे षड़यंत्र की गम्भीरता को महसूस करते हैं । वे इस विधेयक का निस्संदेह समर्थन करेंगे । इस षड़यंत्र से जो खतरा उत्पन्न हुआ है वह अभी भी समाप्त नहीं हुआ है । यह खतरा तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि इसकी जड़ में प्रतिक्रियावादी तथा दक्षिणपंथी ताकतों को कुचला नहीं जायेगा ।

यद्यपि असाधारण स्थिति से निपटने के लिए प्रस्तुत इस असाधारण उपाय का हम समर्थन करते हैं, परन्तु इतनी चिन्ता व्यक्त करना चाहेंगे कि अफसरशाही को जो इतनी अधिक शक्तियां सौंपी जा रही हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है ।

आंकड़ों में उन तथ्यों को दर्शाते हुए एक विवरण भी पेश किया जाना चाहिए था कि आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अब तक कितनी कार्यवाही की गई है । कितने व्यक्तियों को राजनीतिक

गतिविधियों के कारण और कितने व्यक्तियों को आर्थिक अपराधों के आधार पर निरुद्ध किया गया। इस दिशा में 26 जून के बाद जो कार्यवाहियां की गई है उनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए थी। मंत्री महोदय को इस विधेयक के बारे में हमारा समर्थन प्राप्त करने से पहले इस सभा का विश्वास प्राप्त करना चाहिए था।

यह सरकार अपने ऊपर बहुत भारी और गम्भीर दायित्व ले रही है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि पर्याप्त कारणों के इन शक्तियों का दुरुपयोग न हो और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त न की जाये क्योंकि अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का यही तात्पर्य है कि नजरबन्द व्यक्ति को किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नजरबन्द व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या शर्त लगाये बिना अपने सभी अधिकारों से वंचित कर रखा गया है। यह इतना कठोर कदम है कि देश विदेश में इस पर प्रतिकूल टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी कठोर उपाय के कारण उन्हें भारत के विरुद्ध यह प्रचार करने का अवसर मिला है कि भारत में वैयक्तिक तथा नागरिक स्वतंत्रता छीनी जारही है। स्पष्टत : यह उपाय इतना कठोर है कि एक बार निरुद्ध हो जाने पर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यह न तो न्यायालय में जा सकता है और न अपने निरोध के कारण जान सकता है। न तो उसका मामला पुनरीक्षण के लिए सलाहकार बोर्ड को भेजा सकता है और यदि उसकी पत्नी अथवा पुत्र-पुत्री मृत्यु शय्या पर भी हों तो भी उसे जमानत या जमानती-पत्र पर रिहा किया जा सकता है। मेरे विचार से यह स्थिति केवल आपात काल के लिए रखी गई है। यदि कानून में यह स्थायी व्यवस्था है तो मंत्री महोदय कृपया उसे स्पष्ट कर दें।

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
Shri Ishaque Sambhali in the Chair.]

प्रस्तावित विधेयक में सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था हटा दी गई है। सलाह-कार बोर्ड का गठन हमारे कानून में कई वर्षों से एक अच्छा विचार तथा अच्छी प्रक्रिया रही है। अब पुन-र्विचार का वह प्रावधान भी हटाया जा रहा है और अब 15 दिन के अन्दर कुछ कर्मचारी पुनर्विचार करेंगे। अत : सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन अत्यधिक शक्तियों का किसी भी प्रकार दुरुपयोग न हो। केन्द्रीय गृह मंत्री को चाहिए कि वह अधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह चेतावनी दे दें कि यदि इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया या कोई पुराना बदला लेने का प्रयास किया गया तो वे कठोर दंड के भागी होंगे।

मुझे इस बात की आशंका है कि कुछ स्थानीय जमींदार उन लोगों से स्थानीय पुलिस की सहायता देकर पुराना बदला लेना चाहेंगे जो वहां भूमिहीन श्रमिकों अथवा हरिजनों की ओर से संघर्ष करते करते आ रहे हैं। सारा षड़यंत्र बनाया जा सकता है और ऐसे लोगों को जेल में डला जा सकता है।

हमने कुछ संशोधन पेश किये थे जिनका उद्देश्य पुनर्विचार की अवधि लगातार 10 दिन की जानी चाहिए और उसके बाद की 4 महीने की पुनरीक्षण अवधि कम से कम 3 महीने की की जानी चाहिए। इस प्रकार पुनरीक्षण हर तीन महीने के बाद होना चाहिए।

मेरे विचार से आप ऐसे व्यक्तियों को विरुद्ध कर रहे हैं जो सत्ता हथियाने के लिए हिंसा और अव्यवस्था फैलाने का आन्दोलन चला रहे हैं। परन्तु आप उन समाचारपत्रों और उनके प्रवर्तकों के बारे में क्या कर रहे हैं जो कि ऐसे आन्दोलन को अभी तक भड़काने में लगे हुए थे। मुझे आश्चर्य है

कि हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रबन्धक मंडल के अध्यक्ष श्री के० के० बिड़ला, जिन्होंने 25 जून के अंक में इस आन्दोलन का पक्ष लिया, दो दिन में देशभक्त बन गये और प्रधान मंत्री के पास जाकर उनकी नीतियों का समर्थन किया। 'मदरलैंड' समाचार पत्र को, जो कि साम्प्रदायिक विष उगलने में निरन्तर लगा हुआ था, भरतराम और चरतराम उद्योग विज्ञापन देकर सहायता देता रहा है। यही उद्योगपति प्रधान मंत्री को यह आश्वासन देते हैं कि वे उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। अतः आपको यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इन सभी खतरनाक ताकतों पर जो कि आज अपना मुखड़ा बदल रही हैं पूरी नजर रखी जाये।

मुझे ज्ञात हुआ है कि आजकल निरुद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों, पत्नि तथा अन्य रिश्तेदारों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को इस मामले में निश्चय ही मानवीय तथा उदार रुख अपनाना चाहिए और ये मूलभूत सुविधाएं, यदि सुरक्षा की दृष्टि से उचित हों, अवश्य देनी चाहिए।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : तोड़ फोड़ की गतिविधियों का दमन करने के लिए भारत सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करना जरूरी था क्योंकि इन गतिविधियों से देश के आर्थिक विकास विशेषकर श्रीमती इन्दिरा गांधी के आर्थिक कार्यक्रम को धक्का पहुंच रहा था।

नौकरशाही में दक्षिणपंथी तत्वों की घुस पैठ के बारे में कुछ सदस्यों का उत्तेजित होना उचित ही था। कुछ समय से हम विभिन्न उपक्रमों, स्कूलों, कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में जनसंघ तथा अर्द्ध सैनिक संगठनों की घुसपैठ देखते आ रहे हैं। दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों तथा निहित स्वार्थ के लोगों के षड़यंत्र का दमन करने के लिए नौकरशाही की गहरी छानबीन जरूरी है। हमें अनुच्छेद 311 में मूलभूत परिवर्तन लाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कार्यपालिका अर्थात् नौकरशाही की काटछांट की जाये ताकि राष्ट्रविरोधी गतिविधियों तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों के षड़यंत्रों का दमन किया जा सके क्योंकि इससे ऐसा वातावरण पैदा होता है जो आर्थिक उपायों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है। वास्तव में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहली बार संविधान को समाज परिवर्तन का उपकरण बनाया है।

13 जुलाई, 1975 को तमिलनाडु में 24 तस्करों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 9 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे, 10 मार्क्सवादी तथा 5 जमायते इस्लामी के थे। कर्नाटक में अधिकांश विश्वविद्यालय तथा शिक्षा संस्थायें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ के प्रभाव में हैं। वे हमारी युवा पीढ़ी पर अपना मतारोपण कर रहे हैं और तोड़फोड़ तथा आन्तरिक अशान्ति का वातावरण पैदा कर रहे हैं। देश के हर भाग में ऐसा हो रहा है।

देश में तस्करी कार्यों के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्ट का हाथ है। जिससे हमारे देश के आर्थिक विकास में रुकावट आ रही है। इस प्रकार के सभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने लिए यह कानून बहुत जरूरी है। इसका पूरा पता लगाना चाहिए तथा पुरी छानबीन की जानी चाहिए तथा इनके विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने चाहिएं।

Shrimati Mukul Banerji (New Delhi): For some time past the opposition parties have been engaged in undemocratic activities by creating disturbances, disorder and anarchy. Democracy is in peril. Therefore, it has become imperative that Government resort to certain measures in order to curb those anti-social and aniti-democratic elements. This Bill is a step in the right direction.

I am pained to see how the opposition parties made the youngmen and students their scapegoats. They are used as instruments to further their undemocratic ends. And those students who do not support these elements are sometimes threatened with dire consequences. During the elections in Gujarat also the voters were threatened and asked to vote against the Congress. All this was going in the name of democracy.

We know how the smugglers carried on their activities under the protection of the existing law. Foreign exchange regulations were violated. All this posed a serious threat to our economy. In fact there was a parallel economy running in the country. Besides, the blackmarketeers and profiteers were amassing huge wealth at the cost of common man. We saw how the right reactionaries had tried to obstruct the procurement drive last year. It, therefore, became imperative for the Government to bring in a measure so as to put down with a firm hand all these anti-social and anti-democratic activities. I, therefore, support this measure.

I would also suggest that mere dismissal of corrupt Government servants is not enough and as such powers should be acquired to confiscate the property acquired through corrupt means.

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : आपात स्थिति लागू करते ही प्रतिपक्ष से मुक्ति पा ली गई है । अब वार्ता या विचार-विमर्श का कोई प्रश्न नहीं है और विधान अब निर्विरोध पारित हो जायेंगे ।

जब आंसुका (मिसा) को इस सभा ने पास किया था, तो वह केवल तस्करों के लिए था । विधेयक प्रस्तुत कर्ता मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने उस समय स्पष्ट शब्दों में सभा को पक्का आश्वासन दिया था कि आंसुका का प्रयोग राजनीतिक दलों अथवा राजनैतिक नेताओं के विरुद्ध कभी नहीं किया जायेगा । उन्होंने इस बारे में कोई शर्त नहीं रखी थी । उनका यह आश्वासन स्पष्ट था । तस्करों से निपटने के लिये मिसा का प्रयोग हमने स्वीकार किया है परन्तु एक बार मान लेने पर अब वह सरकार के हाथ में एक मनमाना अस्त्र हो गया है जिसका प्रयोग वह राजनीतिक दलों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध करेगी ।

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि सरकार ने कुछ एक चुनी हुई गिरफ्तारियां की हैं । गिरफ्तार केवल उन्हीं लोगों को किया गया है जिन्होंने प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार का विरोध किया है ।

आपात स्थिति का पहला शिकार समाचारपत्र हुए हैं जिनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई है । अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि **हिन्दुस्तान टाइम्स** के सम्पादक को भूतलक्षी प्रभाव से दण्ड दिया जाये क्योंकि उसने 25 जून के सम्पादकीय में यह कहा था कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को त्यागपत्र दे देना चाहिए ।

समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में वर्तमान प्रधान मंत्री के पिता स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "मुझे इसमें तनिक सन्देह नहीं कि यदि सरकार समाचारपत्रों द्वारा प्रयुक्त स्वतन्त्रता को नापसन्द भी करती है और उसे खतरनाक समझती है, तो भी उनकी स्वतन्त्रता में दखल देना गलत है । नियंत्रण लगा कर आपको कुछ नहीं मिलता बल्कि उल्टे लोगों के विचारों को दबाते हैं जिन्हें अन्दर ही अन्दर और ज्यादा पनपने का मौका मिलता है ।" अपने पिता की सलाह पर चलने

के बदले श्रीमती इन्दिरा गांधी उन्हीं विचारों को फैलाने में सहायक हो रही हैं। जिन्हें वें दबाना चाहती है । स्व० श्री जवाहरलाल जी ने इस सम्बन्ध में आगे कहा है कि "इसलिए, मैं एक नियंत्रित तथा विनियमित प्रेस की अपेक्षा पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस का वरण करूंगा यद्यपि उस स्वतन्त्रता के गलत प्रयोग में खतरे अन्तर्ग्रस्त हैं।"

श्रीमती गांधी कहती हैं संसद् का अधिवेशन चल रहा है यही इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश में लोकतन्त्र है। किन्तु यह संसद् तो उसी तरह की है जैसी स्कूल व कालिजों में कृत्रिम संसद् की व्यवस्था की जाती है क्योंकि प्रत्येक सदस्य यहां खामोश है उसके मुंह पर ताला लगा हुआ है। सारा प्रतिपक्ष गिरफ्तार है, और उसे यहां नहीं आने दिया गया, फिर भी प्रधान मंत्री कहती हैं कि संसद् का अधित्रेशन हो रहा है। प्रधान मंत्री विश्व से एसा क्यों कह रही हैं कि देश में लोकतन्त्र है जब कि आज हमारी कोई आवाज नहीं है। देश में केवल वही प्रसारित किया जाता है जो प्रधान मंत्री या गृह-कार्य मंत्री कहते हैं ।

देश में आज जो यह अंधेरा छा गया है वह और भी अधिक गहन अंधेरे का रूप ग्रहण कर रहा है।

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 7 में यह कहा गया है कि "किसी भी व्यक्ति को (जिसमें विदेशी व्यक्ति भी शामिल हैं) जिसे इस अधिनियम के अधीन नजरबन्द किया गया है उसे प्राकृतिक अथवा सामान्य विधि के अन्तर्गत प्राप्त किसी भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं होगा।"

ऐसा लगता है कि गृह-कार्य मंत्री दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने से सन्तुष्ट नहीं हुए हैं। वह प्राकृतिक विधि तथा सामान्य विधि को नष्ट करने पर तुले हुए हैं जिसकी प्राप्ति हजारों वर्षों के मानव संघर्ष के बाद संभव हुई है। प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से वह मनुष्य को प्राकृतिक विधान से वंचित कर रहे हैं। प्राकृतिक विधान को नष्ट करके उन्होंने मनुष्य जाति की प्रतिष्ठा, भारत की महान संस्कृति, महात्मा गांधी की आत्मा तथा जवाहरलाल नेहरू के दर्शन को नष्ट कर दिया है।

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : प्रतिक्रियावादी शक्तियों का षड़यंत्र भारत एवं भारतीय लोकतन्त्र के विरुद्ध है। षड़यंत्र का उद्देश्य सम्पन्न लोगों की तानाशाही स्थापित करना है। इसका दूसरा उद्देश्य साम्राज्यवाद-विरोधी नीति को असफल करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने विनाश, अराजकता और भ्रांति फैलाने का मार्ग फैलाया। उनका उद्देश्य फासिस्टवाद लाना था। इसके लिए उन्होंने लोकतंत्र विरोधी तरीके अपनाए। उन्होंने श्री एल० एन० मिश्र को, जो हमारा महान नेता था, मारा। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधिपति को मारने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने विधान सभा के सदस्यों का घेराव कर उन्हें त्यागपत्र देनें के लिए बाध्य किया । वे विधान सभाओं को भी भंग करना चाहते थे। वे जनता सरकार बानना चाहतें थे । उनका उद्देश्य सरकार को पंगु करके एक समानान्तर प्रशासन चलाना था ।

गांधी जी देश की स्वतन्त्रता के लिए अनशन किया करते थे परन्तु मोरारजी देसाई विधान सभाओं को भंग करने के लिए अनशन करते हैं। हम समझते थे कि वह एक वृद्ध व्यक्ति हैं तथा पूज्य हैं परन्तु उन्होंने हमें गलत समझा ।

वे लोग जो करते रहेहैं मैं उनके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। श्री जय प्रकाश नारायण ने अपने 9 दिसम्बर के पत्र में लिखा था "चुनाव दिन प्रति दिन जनता के लिए निरर्थक होते जा रहे हैं। उन्होंने पटना में माओ का समर्थन करते हुए कहा कि शक्ति बन्दूक की नली से प्राप्त होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सब चीजें फासिस्टवाद की नहीं हैं। उन्होंने 6 मार्च के "मदरलैंड" में

कहा कि यदि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ फोसिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों को भी उचित ठहराया ।

उन्होंने 5 जून, 1974 को कहा कि "निर्णय मेरे होंग तथा आपको उन्हें स्वीकार करना होगा। वह अपने आपको भारत का हिटलर समझने लग गए थे। ऐसे कई और उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वह अपने आपको तानाशाह समझने लग गए थे। फिर उन्होंने 31 मार्च, 1975 को कहा कि मैं उचित समय पर सेना और पुलिस को विद्रोह का आह्वान देने से नहीं चूकूंगा। 4 अप्रैल को उन्होंने भुवनेश्वर में कहा कि मैं उचित समय पर सेना और पुलिस को विद्रोह करने के लिए कहूंगा। 25 जून को उन्होंने कहा कि जिस समय का मैं जिक्र कर रहा था वह समय अब आ गया है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति को आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी है।

साम्राज्यवादी शक्तियां नहीं चाहती थी कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें इसीलिए वे ऐसा करती रही। चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भारत को मजबूत बना दिया तथा विश्व में भारत का सिर ऊँचा उठा दिया इसलिए वह उन्हें खटकने लगी। चूंकि वे लोग चुनाव में जीत नहीं सके इसलिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया। ऐसे संकट के अवसर पर जब साम्राज्यवादी शक्तियां और निहित स्वार्थ एक साथ मिल गए थे यदि सरकार तुरन्त कार्यवाही न करती, यदि वह आपात की स्थिति की घोषणा न करती तथा यदि वह आंसुका में संशोधन न करती तो बड़ी ही यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होती। ऐसी कार्यवाही करने की बहुत आवश्यकता थी तथा यह की जानी चाहिए थी ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : हम सब को ठीक ढंग से कार्यवाही को चलने देना चाहिए।

Mr. Chairman. The speech of the Members who will speak without the permission of the chair will not be recorded.

Shrimati Savitri Shyam Aonla: Mr. Chairman, Sir. this is not the first time that Mr. Shamim has opposed MISA: Not even a single example is available where he has supported the progressive steps. When smugglers, businessmen and blackmarketeers were arrested under MISA he had said that it was the question of their fundamental right and personal liberty. I want to submit that in the name of personal liberty and natural justice some people cannot ruin the lives of the people of the country. About two years back the Prime Minister had given a warning that there are forces inside and outside the country which want to make the country weak: A conspiracy was hatched to destroy the country. Both internal and external forces were bent upon rising the country. When the imperialists could not get success in Comboria. Viet Nam and Korea, they hatched a conspiracy to supply weapons to Pakistan in order to make India weak. The traitors in the country also started their work to destroy the country. How could the Prime Minister be a silent spectator to all this? No Government with the name could tolerate such dangerous activities against the interest of the country.

MISA is not a new Act, In this Act amendments have been made from time to time. The proposed amendment to this Act is not enough. The provisions of this Act should be made more stringent. Properties of the persons against whom there are grave charges should be confiscated. Cases of the persons who are arrested under MISA should not be reviewed as long as there is emergency in this country. In order to make these provisions suitable amendments should be made in the Bill.

At the land I would like to say that the scope of MISA should be enlarged so that such persons, who are out and out to destroy the country, could be dealt with firmly. There are many shortcomings in the Bill. We should remove these shortcomings so that MISA could become an effective measure.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने का विधेयक एक महत्वपूर्ण विधान है और इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यह एक खेद की बात है कि श्री शमीम ने इस विधान के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं जो निराधार हैं। यह विधेयक देश में लोगों की जान व माल की रक्षा के लिये लाया गया है। अब साम्प्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियों का ह्रास तो होगा ही, इससे धर्मनिरपेक्षता का झंडा भी ऊंचा हो जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद 22, 248 और 254 में निवारक निरोध के लिये उपबन्ध है। सर्वप्रथम 1950 में निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश के तेलगांना क्षेत्र में कुछ लोग गड़बड़ करना चाहते थे। यह अधिनियम आरम्भ में केवल एक वर्ष के लिये बनाया गया था। परन्तु यह अधिनियम गत 18 वर्षों से लागू रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह अधिनियम सही दिशा में एक कदम था। इस का समर्थन सभी राज्य सरकारों ने किया था जिनमें प्रतिपक्षी दलों की सरकारें भी शामिल हैं। यह अधिनियम 31 दिसम्बर, 1969 को व्यपगत हो गया था। परन्तु इसके दो वर्ष बाद, 1971 में जब देश को बाह्य आक्रमण और आंतरिक सुरक्षा के खतरे का सामना करना था तब आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने का मूल अधिनियम 2 जुलाई, 1971 को पारित किया गया था क्योंकि यह देश के हितों की रक्षा करने के लिये बनाया गया था। यह कहना कि अब संसद् स्वतन्त्र नहीं है, कितना भ्रामक है। हमारे लिये तो अब भी यह वही संसद् है जो 25 जून से पहले थी क्योंकि यह देश के अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाली है। जब सभी राज्य सरकारों ने इसका समर्थन कर दिया है और उन्होंने कोई शंका व्यक्त नहीं की है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कोई शंका करें। जो लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। आज दिल्ली में विद्यार्थी परिषद् ने एक गुप्त परिपत्र जारी किया है जिसमें विद्यार्थियों को कालेजों में जाने से मना किया गया है। अभी भी विश्वविद्यालयों को बन्द करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बिहार विश्वविद्यालयों में थाइलैण्ड, बर्मा और श्री लंका आदि देशों से आये विद्यार्थियों में भी गुप्त पत्र और पत्रिकाएं बांटी गई हैं कि वे कक्षाओं में न जायें क्योंकि उन की जान व माल की रक्षा करने की कोई गारण्टी नहीं है। रेलवे कर्मचारियों, द्वारा की गई हड़ताल, जिसका उद्देश्य सारा काम ठप्प करने का था, के असफल हो जाने के कारण इन लोगों ने स्वर्गीय एल० एन० मिश्र की हत्या कर डाली। रेलगाड़ियों को बन्द करके ये लोग इस देश के करोड़ों लोगों को भूखा मारना चाहते थे। सर्वश्री जार्ज द्वारा फरनेंनडीज और जय प्रकाश नारायण द्वारा हाल ही में दिये गये भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे देश में गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। ऐसे प्रयत्नों को असफल बनाने और देश में शान्ति स्थापित करने के लिये यह विधेयक बहुत ही आवश्यक है और हम इसका स्वागत करते हैं। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अन्य षडयन्त्रकारियों के अड्डों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। देश में फूट डालने वाली इन शक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये।

लोग सोचते हैं कि 12 जून से देश का इतिहास ही बदल गया है। यह गलत है क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह सब देश और लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिये किया है।

हमने प्रधान मन्त्री को 7 जनवरी को इस बारे में एक ज्ञापन दिया था, जिस पर कांग्रेस दल के 200 संसद् सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि तोड़फोड़ और धांधली समर्थक शक्तियों को सख्ती से दबाया जाये और राष्ट्र के प्रजातांत्रिक ढांचे को भ्रष्ट करने की इच्छा रखने वाले बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी क्षमा न किया जाये। अतः यह 12 जून ही नहीं इससे भी कहीं पहले से प्रधान मन्त्री और अन्य नेताओं को देश के हितों की रक्षा करने के लिये कहते रहे हैं जिससे समाज के कमजोर वर्गों के साथ न्याय हो और संसदीय परम्परायें कायम रहें। अतः प्रधान मन्त्री ने जो कुछ किया है वह देश को तथा लोकतंत्रात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के लिये किया है। हां इतना जरूर है कि इस विधान का दुरूपयोग नहीं होना चाहिए।

श्री के० मायान्देवर (डोंडिगुल) मैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात्कालीन स्थिति की घोषणा का स्वागत करता हूं क्योंकि यह लोकहित में और राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये किया गया है। देश में उत्पन्न की गई असामान्य स्थिति का सामना करने के लिये भारत रक्षा नियमों आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम और भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधनों का भी स्वागत है। प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तावित 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सराहनीय है। तस्करों, जाली सिक्के बनाने वालों, चोरबाजारी, करने वालों, जमाखोरों, समाज–विरोधी लोगों और राष्ट्र–विरोधी लोगों को, जिन्होंने देश के 55 करोड़ लोगों का जीना दूभर कर रखा है, कड़ी से कड़ी सजा देने के लिये विभिन्न विधियों का संशोधन किया जाना चाहिये। भारतीय दण्ड संहिता, सीमा–शुल्क अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का संशोधन करके इन के अन्तर्गत अपराध करने वालों के लिये आजीवन कारावास अथवा कम से कम 10 वर्ष के कारावास का उपबन्ध किया जाना चाहिये, क्योंकि ये लोग जनता के सब से बड़े शत्रु हैं। यही लोग मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिये भी जिम्मेवार हैं। इस के साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियों का दुरुपयोग न हो। केन्द्रीय सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें प्रतिपक्षी दलों के लोगों को परेशान करने के लिये इन शक्तियों का दुरुपयोग न करें।

आपात की उद्घोषणा होने के पश्चात् प्रधान मन्त्री ने 21 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की और राज्य सरकारों को निर्देश दिये कि वे इसे तुरन्त क्रियान्विति करें। परन्तु तमिलनाडु सरकार ने प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया है। वहां पर सत्ताधारी दल 'द्रुमुक' की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक हुई और उन्होंने आपात्कालीन स्थिति का विरोध करने और केन्द्रीय सरकार के आदेशों का खण्डन करने का निर्णय किया। संविधान के अनुच्छेद 353 के उपबन्धों के अधीन मुख्य मन्त्री का कर्त्तव्य है कि वह केन्द्रीय सरकार की हिदायतों का पालन करें। परन्तु मुख्य मन्त्री, श्री करुणानिधि इन निर्देशों का खण्डन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देश को इस समय न ही किसी बाह्य आक्रमण का और न ही आंतरिक सुरक्षा का कोई खतरा है। वहां के शिक्षा मन्त्री भी यही कह रहे हैं। इन परिस्थितियों में तमिलनाडु सरकार के सदस्यों के विरुद्ध आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभी राज्यों में चावल की कीमत कम हो गई है। परन्तु तमिलनाडु में चावल के दाम बढ़ गये हैं। आपातकालीन स्थिति की घोषणा होने के पश्चात वहां पर चावल का दाम दुगुना हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने 'मक्कल कुराल' 'तीनांगम' और 'अन्ने नाडु' समाचार पत्रों को जब्त कर लिया है क्योंकि इन पत्रों में चावल की कीमत में हुई वृद्धि की आलोचना की थी। यह शक्तियों का दुरुपयोग है। गृह मन्त्री इस मामले की ओर ध्यान दें और तमिलनाडु सरकार को ऐसा करने से रोके। इन शक्तियों का उपयोग तो जमाखोरों, समाज विरोधी तत्वों तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध किया जाना चाहिये था जिससे लोगों को आवश्यक वस्तुएं कम कीमत पर मिल सके, परन्तु वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तमिलनाडु सरकार भ्रष्ट है और इसे हटा दिया जाना चाहिए।

Shri Sadhu Ram (Phillaur): Mr. Chairman. Sir, the people of the country had thought that after the enforcement of MISA, the black money would come out and this would benefit the poor and lead to the development of the country. But we find that even after the proclamation of emergency, there is some slackness so far as the implementation of various measures is concerned.

(श्री एच० के० एल० भगत पीठासीन हुए)

[SHRI H. K. L. BHAGAT *in the Chair*]

The people of the country have supported the programme evolved by the Central Government and they are ready to extend their co-operation to implement it. But unfortunately, the bureaucracy has not come up to our expectations and I find that there is some slackness on its part to implement the economic programme.

It is strange that when the people of the country have welcomed the declaration of emergency and evolvement of the economic programme, the members belonging to the opposition parties are opposing these measures adopted by the Government in the interest of the country and the people particularly the weaker sections of our society. These members think that they are here in the parliament simply to oppose whatever steps are taken by the Government without going into the merits and demerits of the proposed measures.

I have received a number of complaints about the injustice being meted out to the Harijans. In his constituency in village Chakdana, 20 Harijan families have been subjected to social boycott for the last fifteen days. Despite my personal letters to the Chief Minister as well as the I.G., Police, no action has so far been taken in this regard. Similarly, in Indasi Police Station in Haryana, 17 Harijan families are being harassed by the kiln owners. This is the plight of these poor people even after the declaration of emergency. The Home Minister should pay attention to these matters. He should write to all the Chief Ministers asking them not to play in the hands of the bureaucracy and ensure quick implementation of the welfare programme so that the poor could get some reliefs.

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra): I congratulate the hon. Minister for bringing a timely measure. An elder Member of Parliament recently said to me that the independence of our country which we won by sacrificing many lives might be lost during his lifetime. It is really unfortunate that in the name of Gandhian principles, Shri Jayaprakash Narayan was engaged in creating anarchy and indiscipline in the country. Shri Jayaprakash Narayan was condemning the people of the Soviet Union, who had been friendly to our country, and was supporting the Chinese who had made encroachments in our territory. He advised

the students to leave their studies and to engage themselves in unlawful activities. It resulted in deteriorating law and order situation in the country and more particularly in Bihar. In view of this, such a measure was very much needed.

A fear has been expressed that the bureaucracy may misuse this measure. The Home Minister should ensure that it does not happen. Otherwise the real purpose of this Bill may not be served. A non-official agency should be set up to report cases of misuse of powers by the officers and quick action should be taken on such complaints.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : हम लोग विचार-अभिव्यक्ति, सभा करने और प्रैस की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करते रहे हैं । यही कारण है कि वर्तमान विधेयक जैसे हर प्रस्ताव के बारे में हमारे मन में पहला प्रश्न यह उठता है कि उससे कहीं हमारे इन मूल अधिकारों पर आघात तो नहीं पहुंचेगा। अतः हमें यह देखना है कि आपात्काल की घोषणा से पहले देश में क्या हालत चल रही थी। बिहार में कोई भी सार्वजनिक सभा करना तब तक असम्भव था जब तक कि उसकी सुरक्षा के लिए लाठियां लिये स्वयंसेवक न तैनात किये जायें। हिंसा के लिए खुला आह्वान किया गया था। यहां तक कि विधायकों को उनके घरों से निकाल कर पीटा गया। जहां तक प्रैस की स्वतन्त्रता का प्रश्न है; उसे पूंजीपति भ्रष्ट किये हुए थे और उस पर एकाधिकार जमाते चले जा रहे थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में शृंखलाबद्ध समाचार पत्रों की स्थापना को एक खतरनाक प्रवृत्ति बताया था। इन समाचार पत्रों ने न केवल प्रैस स्वातन्त्र्य को ही घटा दिया था वरन् देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रखा था। सार्वजनिक सभाओं में दिये गये समुचित वक्तव्यों को छोड़ दिया जाता था और देश-विदेश में हमारी संसद की प्रतिष्ठा गिराने के उद्देश्य से विवेकहीन वक्तव्य छापे जाते थे। उनमें हिंसा का आह्वान किया गया था, सरकार का तख्ता उलट देने, दलहीन प्रणाली स्थापित करने की बातें कही जा रही थीं। विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़ देने के लिये कहा जा रहा था। इस प्रकार देश में एक असामान्य वातावरण पैदा हो गया था और लोगों का सामान्य जीवन खतरे में पड़ गया था। यही नहीं वरन देश की स्वाधीनता और अखंडता भी खतरे में पड़ गयी थी। इस स्थिति को उत्पन्न करने में विदेशी ताकतों का भी हाथ था। अतः यह कदम उठाना आवश्यक था।

हमें विदित है कि के० के० बिड़ला तथा इंडियन अक्सप्रैस ग्रुप थोड़ा नम्र हो गया था और प्रधान मन्त्री की उनके नीतियों के लिए सराहना करने लगा था, परन्तु 22 तारीख के बाद यह समझकर कि फासिस्ट ताकतों के हाथ में देश की सत्ता जाने वाली है, प्रधान मन्त्री को गद्दी छोड़ देने की सलाह देने लगा, ये लोग देश से लोकतन्त्र को हटाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में यह विधेयक लाना आवश्यक हो गया ।

परन्तु इस विधेयक में उद्देश्यों के कथन में दो मुख्य बातें छोड़ दी गई हैं, एक तो सलाहकार बोर्ड और दूसरी निरोध के आधार। इस कथन में भी इनका उल्लेख किया जाना चाहिए। धारा 8 में निरोध के आधार और धारा 9 से 12 में सलाहकार बोर्ड का उल्लेख है।

निरोध के आदेशों पर पुनर्विचार करने की व्यवस्था बुरी नहीं है परन्तु इसके लिए सलाहकार बोर्ड की प्रणाली रखना अधिक अच्छा है। स्वयं अधिनियम में कहा गया है कि यदि

सरकार यह समझे कि निरोध का कोई आधार बताना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है उससे कानून तथा व्यवस्था को खतरा है, तो वह आधार बताना आवश्यक न होगा। परन्तु इसके अतिरिक्त आधार बता दिये जाने चाहिए।

हमारी राज्य नीति धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक तथा समाजवादी है, अतः उसे लोकतन्त्र विरोधी साम्यवादी तथा फासिस्टवादी ताकतों को दबाना है। परन्तु स्वयं प्रशासन में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी विचारधारा का सुझांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ आदि की ओर है। कुछ दिन पहले बजराज मधोक को डिफेन्स अकादमी में सैनिक अधिकारियों के सम्मुख अपना भाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया था। इसी प्रकार श्री वाजपेयी को भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों के सम्मुखभाषण देने के लिए आमन्त्रित किया गया था। अतः इस अधिनियम को लागू करने का काम ऐसे अधिकारियों के हाथ में सौंपते समय उन पर कुछ अंकुश भी लगाना होगा। मेरी राय में सलाहकार बोर्ड की व्यवस्था जारी रखनी चाहिए और विधेयक में से यह खण्ड कि 'धारा 8 से 12 लागू नहीं होगी' हटा दिया जाना चाहिए।

यह सुझाव अत्यधिक उपयोगी है कि इस अधिनियम की क्रियान्विति की देखभाल रखने के लिए केन्द्रीय या राज्य या जिला स्तर पर एक सांविधिक गैर-सरकारी समिति स्थापित की जाये। पिछले वर्ष कुछ व्यक्तियों को जो कि हिंसा भड़काने तथा अव्यवस्था फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किये गये थे, सिफारिशमिलने पर छोड़ दिया गया। इस प्रकार कुछ लोग बड़े बड़े अधिकारियों की सहायता से बच जाते हैं। अतः इस अधिनियम की सही क्रियान्विति के लिए ऐसी सतर्कता समिति होना परमावश्यक है।

Shri Hari Singh (Khurja): I welcome and support the Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill, 1975. The House would recall that the smugglers arrested under MISA were set free by the Delhi and Madras High Courts because there were some loopholes in the Act. So these lacunae have got to be removed in the MISA.

We also know that in our country during the last 3-4 years some organisations like RSS, the Anand Marg. Zamait-e-Islam and Jan Sangh have been carrying on their nefarious activities and the general law of the land has failed to stop these things. If these forces are allowed to have their own way. then today there will be fascist set-up in the country instead of the present democratic set-up. We are grateful to the Prime Minister for taking timely action and preventing this catastrophe.

It is hoped that the present measure will go a long way in dealing effectively with the antinational and anti-social forces in the country.

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun): This Bill to amend the Maintenance of Internal Security Act has become essential due to existing emergency in the country, which are Government had to proclaim in order to curb the activities of those who were indulging themselves in economic offences and who were acquitted by High Courts. The entire country has welcomed this measure because it will help in putting an end to economic offences. The people in the country want easier availability of essential commodities and abolition of smuggling. corruption and tax evason. The present steps taken by the Prime Minister have initiated action in his direction. To achieve this end it is essential to proclaim emergency and enforce MISA. But these laws must provde some relief to the people in general. This emergency reminds the people about their obligations and duties.

The sugarcane growers in the country are very much agitated because of non-payment of arrrears to them. There are still arrears to be paid to the tune of Rs. 70 crores in the whole country out of which Rs. 24 crores is the share to U.P. alone. It is mostly the money of marginal and poor farmers. During this emergency steps should be taken to expedite the payment of these arrears to the poor farmers.

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur): When the capitalists in the country and abroad found that our Prime Minister had taken up the job of uplifting the poor masses, they joined hands together to over throw the regime of the Prime Minister. It is under such conditions that the Prime Minister declared emergency. Our country is a land of poor people and when the Prime Minister took up the cause of abolishing poverty even the judiciary became hostile, but the courts can never suppress the voice of our Prime Minister. The capitalists have never allowed equal rights to Harijans and lower caste people. When the capitalists found that our Prime Minister had taken up steps to improve their lot there was a spate of murders in the country. Economic disparities have got to be removed. Nobody should be allowed to possess wealth more than what is required to meet his necessities and all surplus wealth should be nationalised and distributed among poor masses. The Prime Minister have taken right steps under the existing conditions.

श्री गिरिधर गोमान्गो (कोरापूट) : मैं इस संशोधी विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि आन्तरिक अव्यवस्था को रोकने के लिए यह विधेयक उचित समय पर प्रस्तुत किया गया है और आपात काल की घोषणा की गई है । यदि जनता, राजनीतिज्ञ, सैनिक और प्रैस अनुशासन में रहें तभी देश की प्रगति हो सकती है ।

1947 में गांधी युग का आरम्भ हुआ था जिससे देश को स्वाधीनता मिली । 1974 के बाद इन्दिरा गांधी युग का आरम्भ हुआ जिससे देश को आर्थिक स्वाधीनता मिलेगी । जिस लोकतन्त्रात्मक समाजवादी की हम कल्पना करते हैं, इस आपातकाल से ही प्रयप्त होगा । आन्तरिक सुरक्षा कानून पहले बनाया जा चुका है परन्तु उस पर कौशल के साथ कार्यवाही नहीं की गई । परन्तु आपातकाल की घोषणा के बाद उसमें कार्यकुशलता आ गई है ।

देश को लाल क्रांति की नहीं वरनँ हरित क्रान्ति की आवश्यकता है । देश में सुधार की आवश्यकता है परन्तु वह क्रान्ति की तरह एकदम नहीं हो सकता । आंसुका से आज की सभी बुराइयां दूर हो जाएंगी ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore): The present emergency is a matter of great concern for Government as well as the people. There is no doubt that there should be improvement in the existing climate in the country and those who created unrest, must be given severe punishment.

The Home Minister of the Gujarat Government recently stated in the Assembly that their Government was considering the withdrawal of cases against those who were arrested for violence and sabotage during the agitation launched by Nav Nirman Samiti last year and action would be taken against those policemen who indulged in excesses with a view to maintain law and order during the President's rule in Gujarat. I want to know what is the thinking of our Government in regard to it. Will it be proper that those who indulged in violence are rewarded and those who performed their duties sincerely punished? Will it be advisable to

allow such a Government to function in such a manner when there is emergency in the country and all such legislations are being enacted here?

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच): इस सदन ने आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन कर दिया है और आन्तरिक सुरक्षा कानून के वर्तमान संशोधी उपबन्धों का सम्बन्ध केवल आवश्यक अनुसंरणात्मक कानूनी कार्यवाही से है। इसलिए, यह अनुच्छेद 22 में निहित संवैधानिक उपबन्ध के बिल्कुल अनुरूप है। वर्तमान संशोधी विधेयक में आपात स्थिति के साथ-साथ गहन सहयोग का उपबन्ध है। दसरा, इस विधेयक के अधीन यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के लिए चित अधिकारी को राय तथा आधार बताना आवश्यक नहीं है। तीसरी बात इस विधेयक में यह है कि इस प्रकार नजरबन्द किये गये व्यक्ति को अभ्यावेदन करने के लिए अवसर देना आवश्यक नहीं है। इस विधेयक से न्याय के प्राकृतिक कानून तथा सामान्य विधि का हनन होता है।

यह पूछा जा सकता है कि सभी प्रकार की यक्तिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाने वाला ऐसा क्रूर कानून क्यों लागू किया गया है। इसका उत्तर यह है कि तोड़-फोड़ करने वाले, देश की अर्थ व्यवस्था को नष्ट करने वाले तथा समाज विरोधी तत्वों के रूप में बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जिन्हें देश में सामान्य कानून के शिकंजे में नहीं कसा जा सकता है। वे इतने बड़े तथा इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि उन्हें साधारण कानून के शिकंजे में फंसाना अत्यन्त कठिन है। इसलिए इस संशोधी विधेयक को संविधि पुस्तक में शामिल करना जरूरी समझा गया है। इतना अवश्य है कि अधिकारियों के इन कानूनों का प्रयोग मनमाने ढंग से तथा निरापराध व्यक्तियों के विरूद्ध नहीं करना चाहिए। इसके प्रवर्तन में काफी सावधानी की आवश्यकता होगी। किन्तु समाज विरोधी तत्वों के साथ, जो कि देश के दुश्मन हैं, कठोरता बरती जानी चाहिए।

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी): विगत दो वर्षों के दौरान कतिपय राजनैतिक दलों की गतिविधियां इतनी अधिक उग्र हो गई थीं कि उनसे देश की एकता को खतरा पैदा हो गया था और राष्ट्र अस्त-व्यस्तता की ओर बढ़ रहा था। और देश में एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिस कारण आन्तरिक सुरक्षा कानून में संशोधन करने वाला विधेयक लाना अनिवार्य हो गया। देश में विधि और व्यवस्था का लोप होने जा रहा था और हिंसात्मक गतिविधियां जोर पकड़ती जा रही थीं और समाज के कमजोर तथा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने के मार्ग में बाधाएं डाली जा रही थीं अतः स्थिति का कारगर रूप से मुकाबला करना अनिवार्य हो गया था जिसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हो गये थे। जैसा कि प्रधान मन्त्री महोदया ने बताया है कि यह एक दुखद अनिवार्यता है।

मेरे मित्र, श्री शमीम ने कहा है कि जब शुरू में आन्तरिक सुरक्षा कानून पेश किया गया था तो सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसका उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। मैंने भी किसी अन्य अवसर पर कहा था कि आन्तरिक सुरक्षा कानून का प्रयोग वैध राजनीतिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं किया जायेगा। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिज्ञों की हिंसात्मक तथा राष्ट्र-विघटनकारी गतिविधियों को माफ किया जायेगा। इसलिए हमें राजनीतिज्ञों की वैध राजनैतिक गतिविधियों और विनाशकारी एवं हिंसात्मक गतिविधियों के बीच भेद करना होगा। क्या पुलिस और सेना को भड़काने का काम वैध राजनैतिक गतिविधि कहा जा सकता है? राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कोई भी गतिविधि या उसकी योजना बनाना अवैध राजनैतिक गतिविधि है।

समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के बारे में कहा गया है। यह सच है कि प्रधान मन्त्री तथा अन्य बहुत से लोगों ने कहा है कि समाचार पत्रों को स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए। हम उनकी स्वतन्त्रता में

हस्तक्षेप नहीं करना चाहते । किन्तु कुछ समाचार पत्र ऐसा चित्र प्रस्तुत कर रहे थे मानो एक ही पक्ष की गलती है और इसी किस्म की प्रवृत्ति तथा मनोवृत्ति का समर्थन करने का प्रयास कर रहे थे । अतः इस ओर ध्यान देना जरूरी हो गया था ।

यह बात कही गई है कि आन्तरिक सुरक्षा कानून के अन्तर्गत सरकार ने जो असाधारण शक्तियां प्राप्त की है उनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए । इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं । प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रियों से कहा है कि वे आ० सु० का० का प्रयोग करने में सावधानी बरतें । गृह मन्त्रालय ने भी राज्यों से कहा है कि वे सावधान रहें कि इसका दुरुपयोग न होने पाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा अन्य सदस्यों ने कहा कि यदि किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी अथवा बच्चा बीमार हो, तो उसे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह सच नहीं है । आपात स्थिति के बाद गिरफ्तार किये गये लोगों पर भी अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के बारे में मूल आ० सु० का० के नियम लागू होंगे । कुछ विशेष परिस्थितियों में उन्हें मिलने की अनुमति है । उनके मिलने की अवधि तथा समय नियमित हैं । वकीलों से भी भेंट करने की अनुमति दी जा रही है ।

गुजरात तथा तमिलनाडु की स्थिति की चर्चा की गई है । इन राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसकी हमें जानकारी है ।

आपात स्थिति के दौरान गिरफ्तारी का कारण न बताने तथा सलाहकार समिति गठित न करने का यह पहला मौका नहीं है । 1962 में आपात की घोषणा के दौरान भी कारण बताने तथा सलाहकार बोर्ड गठित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी । अभी दो दिन पहले अर्थात् 23 जुलाई, 1975 को इस सदन द्वारा पारित किये गये विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर निवारक अधिनियम में भी कारण बताने तथा सलाहकार बोर्ड गठित करने का कोई उपबन्ध नहीं था । इससे पहले कारण बताने तथा सलाहकार बोर्ड गठित करने का कोई उपबन्ध नहीं था और 1974 में भी सलाहकार बोर्डों का कोई उपबन्ध नहीं था । इसलिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, आज देश में अभूतपूर्व तथा खतरनाक स्थिति है और भी राष्ट्रीय व्यापक हितों की रक्षा करने के लिए हमें इस स्थिति का मुकाबला बहुत प्रभावी ढंग से करना होगा ।

मूल आंसुका के अन्तर्गत भी नजरबन्द करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट या कुछ कमिश्नरों अथवा ऐसे ही जिम्मेदार अधिकारियों को दिया गया था । हमने इस बात का ध्यान रखा है कि नजरबन्द करने का आदेश करने वाले अधिकारी स्वयं भी कोई छोटे अधिकारी नहों और उनका स्थान सरकारी सेवा में ऊंचा हो । इसके अलावा, इन आदेशों का पुनरीक्षण राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर किया जाता है । राज्य सरकार को केवल यही नहीं देखना है कि घोषणा 15 दिन के भीतर की जाये बल्कि नजरबन्दी आदेश को जारी रखने अथवा उसे वापस लेने सम्बन्धी स्थिति के बारे में भी समय-समय पर पुनरीक्षण करना होगा । अतः इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी बरती गई है । राज्य सरकारों के अधिकारियों को चेतावनी देने अथवा उनके प्रति सख्ती बरतने और आवश्यक हो तो किसी भी नजरबन्दी आदेश को, जो उचित न पाया जाये, वापस लेने का पूरा अधिकार है । इसलिए मौजूदा हालातों का तकाजा यही है कि राज्य सरकारों द्वारा केवल इन्हीं व्यक्तियों, राजनैतिक दलों या हिंसात्मक गतिविधियों में लगे अन्य लोगों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि जमाखोरों काला बाजारी करने वालों तथा तस्करों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी जरूरी है । घोषणा में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है अतः 15 दिन का समय

इस हेतु कोई ज्यादा नहीं है । इसके अतिरिक्त चार महीने के भीतर इन मामलों के पुनरीक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यह अवधि भी उचित ही है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided:

पक्ष में : 121	**विपक्ष में :** 1
Ayes: 121	Noes: 1

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

श्री मूलचन्द डागा (नागौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 8, जिसमें खण्ड 5 में से "या अन्यथा" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है, प्रस्तुत करता हूं । मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है ? क्या सरकार इस के अन्तर्गत किसी को भी रिहा नहीं कर सकेगी ?

श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी : ऐसा नहीं है । "या अन्यथा" शब्दों का अर्थ यह है कि सरकार अपने आदेश का निरसन कर सकेगी । यदि सरकार चाहेगी, तो वह कुछ परिस्थितियों में किसी निरुद्ध व्यक्ति को अच्छे आचरण पर रिहा कर सकेगी ।

सभापति महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री डागा : जी हां ।

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment No. 8 was, by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 9 और 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 10 और 12 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए । माननीय सदस्य सभी संशोधनों पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : अधिनियम की धारा 8 में उपबन्ध है कि निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के कारण बताए जायें । स्वयं अधिनियम में यह उपबन्ध है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के पश्चात् यदि सरकार यह समझती है कि कोई कारण विशेष निरुद्ध व्यक्ति को बताना लोकहित में नहीं है, तो इसे न बताया जाये परन्तु अन्य कारण तो अवश्य बताये जायें । कारण बताने से अधिकारी कम से कम सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा और वह निरोध का आदेश देने से पूर्व प्रत्येक मामले पर अच्छी तरह से विचार करने के लिये बाध्य हो जायेगा । इन परिस्थितियों में, मेरे विचार में, निरोध के कारण बताने से न ही कुछ सरकार का बिगड़ेगा और न ही सुरक्षा या शान्ति और व्यवस्था को कोई खतरा पैदा होगा । अधिनियम की धारा 9 से 12 सलाहकार बोर्ड के गठन और कृत्यों के सम्बन्ध में हैं । विधेयक के उपखण्ड 6 में प्रस्तावित उपखण्ड 16क (6) (i) के अधीन धारा 8 से 12 के उपबन्ध उपखण्ड 16क(2) के अधीन निरुद्ध किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । यह एक आश्चर्य की बात है कि इन व्यक्तियों को बोर्ड के अधिकार-क्षेत्र से बाहर क्यों रखा जा रहा है । बोर्ड की स्थापना तो सरकार ने ही करनी है फिर सरकार को इस सम्बन्ध में क्या खतरा है ? यदि किसी निरुद्ध व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने के लिये अवसर दे दिया जाये, जिससे बोर्ड उन के बारे में पुनर्विचार कर सके कि कहीं उन से कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है, तो मेरे विचार में, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है । अतः विधेयक के खण्ड 6 के उपखण्ड (i) को विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये । इसी प्रकार धारा 13 के उपखण्ड (2) को, जो एक परिणामिक उपबन्ध है, भी हटा दिया जाना चाहिये । इनके हटाये जाने से विधेयक अधिक सहायक सिद्ध होगा और उसमें जो परस्पर विरोधी उपबन्ध है वह भी समाप्त हो जायेगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं श्री भोगेन्द्र द्वारा दिये गये तर्कों का समर्थन करता हूं । सलाहकार बोर्ड के क्षेत्राधिकार को सीमित करने के लिये कोई पर्याप्त कारण नहीं दिये गये हैं । वारंट या बिना वारंट के निरुद्ध किये गये व्यक्तियों को एक अवसर तो मिलना ही चाहिये जिससे वे ऐसा अनुभव कर सकें कि उनके साथ न्याय हो रहा है । जब 1971 में यह विधान लाया गया था, तब मैंने

इसका विरोध किया था। यह अलग बात है कि अब परिवर्तित परस्थितियों में हम इसका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि इसका उपयोग उन राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध किया जायेगा, जो देश को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि सलाहकार बोर्ड सम्बन्धी उपबन्धों को कुछ मामलों में लागू ही न किया जाये।

बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं ने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये गये आन्दोलन का डट कर मुकाबला किया। परन्तु अब क्या हुआ है ?

श्री भोगेन्द्र झा : सीतामढ़ी में साम्यवादी दल के एक कार्यकर्त्ता को जान से मार डाला गया है। इस मामले की अभी तक कोई जांच नहीं की गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मधुबनी, सीतामढ़ी और छपरा जिलों में जिन लोगों ने श्री जयप्रकाश नारायण का विरोध किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस बारे में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है कि क्या यह कार्यवाही उचित थी या नहीं।

सभी को विदित है कि लोकतन्त्र को समाप्त करने और बिहार विधान सभा को भंग कराने के लिए चलाये आन्दोलन का भारतीय साम्यवादी दल ने कैसे मुकाबला किया। परन्तु आज हमें इसका यह फल मिल रहा है ।

आप उन जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों पर कार्यवाही कर रहे हैं जो कि जयप्रकाश नारायण तथा उनके अनुयायियों का समर्थन करते हैं। यद्यपि हम विपक्षी दलों से अलग पड़ गये हैं परन्तु तो भी हम लोकतन्त्र को बचाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा घोषित आपात काल का समर्थन करते रहे हैं। इतने पर भी हमारे कार्यकर्त्ताओं को अभी तक आंसुका में गिरफ्तार किया हुआ है। माननीय मंत्री उनके आरोपों की जांच करें और उन्हें तुरन्त रिहा करें। लोगों का विश्वास आपात काल से हट जायेगा यदि कानपुर स्थित आई० आई० टी० के विख्यात प्रोफेसर जैसे व्यक्ति हिरासत में रखे गये। सलाहकार बोर्ड और समीक्षा की अवधि 15 से घटा कर 10 दिन करने के बारे में पेश किये गये संशोधन स्वीकार कर लिये जाने चाहिएं। हिरासत में लिये गये बेगुनाह लोगों को बोर्ड के समक्ष जाने का अवसर मिलना चाहिए और निरोध के कारण बताये जाने चाहिएं।

मैंने दिल्ली में सरकारी अधिकारियों को शाखाओं में जाते देखा है। अतः उन पर विश्वास करना ठीक नहीं होगा। यह एक राजनीतिक निर्णय है जिसके प्रति सरकारी अधिकारियों को आस्था रखनी चाहिए ।

श्री मूल चन्द डागा : निरोध आदेश पर विचार करने का काम जिला मजिस्ट्रेट को नहीं वरन् किसी अनुभवी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। ऐसे आदेश पर पुनर्विचार चार महीने के बाद नहीं वरन् एक महीने के बाद किया जाना चाहिए ।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : गिरफ्तार किए गये कुछ प्रमुख व्यक्तियों के जो नाम लिये गये हैं वे हमने ध्यान में रख लिये हैं। प्रतिक्रियावादी तथा तोड़फोड़ करने वाले तत्वों का मुकाबला करने के लिए हम भारतीय साम्यवादी दल के आभारी हैं।

मुझे खेद है कि इन संशोधनों को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो प्रश्न उठाया है उसके उत्तर में मैं कह चुका हूं कि यह अवधि आपातकाल या 12 मास की जो भी कम हो, रहेगी।

श्री एम० एम० बनर्जी : संशोधन संख्या 7 को छोड़ कर मैं अन्य संशोधन वापस लेता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 10 और 12 वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : सभा की अनुमति से ये संशोधन वापस लिये जायेंगे।

संशोधन संख्या 6, 9, 10, 11 और 12, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

(The amendments Nos. 6, 9, 10, 11 and 12 were, by leave withdrawn).

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 3, पंक्ति 44 से 51 का लोप किया जाये।" (7)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "(द्वितीय संशोधन)" (Second Amendment)" **के स्थान पर** "(संशोधन) (Amendment)" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (5)

(श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Till were added to the Bill.

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 28 जुलाई, 1975/6 श्रावण, 1897 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July 28, 1975 Sravana 6, 1897 (Saka)]

GMGIPND—LS III—1268 LS(D)—24-9-75—200.

PARLIAMENT LIBRARY
No. B. 274(11)
DATE 3-10-75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc., in English/Hindi].